[Shri B. Satyanarayan Reddy]

Shri Ajit P. K. Jogi. He is not there. Then Smt. Bijoya Chakravarty.

CONSTITUTION (AMENDMENT) Bill, 1989 (To Amend Article 155)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Sir, I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Another Bill by Smt. Chakravarty.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1989 (To Amend Article 16)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I introduce the Bill.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 1989.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I introduce the Bill.

CHILD WELFARE BOARDS BILL, 1988 (Contd.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYA NARAYAN REDDY): We will now take up further consideration of the Child Welfare Boards Bill, 1988. Shri Hari Singh had not concluded his speech last time. **Shri Hari Singh.**

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपभाध्यक्ष जी, सदन में चिल्ड्रन वेल्फेयर बिल पर चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि बच्चे भारत के भविष्य और मानवता के भविष्य की पूंजी हैं। जिस राष्ट्र के बच्चे अच्छे होते हैं वह राष्ट्र ही सर्वोत्तम होता है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस साइंस और टेक्नोलोजी के युग में औद्योगीकरण हुआ है, बड़े बड़े कारखाने बने हैं, मजदूरों की बस्तियां भी बनी है इन आज की बदलती हुई परिस्थितियों में बच्चों की परिस्थिति भी बदलती है। वह बड़ी ही भयावह है और बड़ी दुखदायी है। चिल्ड्रन के सम्बन्ध में जो हमारे राष्ट्र की पालिसी है वह सन् 1974 में बनी थी और इतने लम्बे समय के बाद जिन नीतियों का निर्धारण किया गया था वह आज बहुत पुरानी पड़ गई है। आज की बदलती हुई स्थिति में जो समय की मांग है और परिवार जो एक संस्था है उस में किस तरह से गिरावट आई है आप उसका अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। उन मजदूरों को छोड़ दीजिए जो सुबह निकलते हैं और शाम को घर लौटते हैं उनके बच्चों का तो ईश्वर ही मालिक है। मैं उन लोगों को भी छोड़ देता हूं जो बेचारे सरकारी दफ्तरों में छोटे कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं, जो मध्यम श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी बात भी छोड़ दीजिए। आज मैं उन घरों के बच्चों की हालत बताता हूं जो एडवांस्ड हैं। एडवांस्ड फेमिली के मियां बीबी दोनों अपने बच्चों को ताले में बंद करके स्कूटर या कार से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई चोर या डकैत बाहर से घर में न घुस जाये। आप जानते हैं कि ऐसे बच्चों में परिवार के प्रति एक विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है और वह अपने मां बाप के खिलाफ विद्रोह करने लगता है। तो यह परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है यह भ्रष्ट हो रहा है, गिर रहा है। एडवांस्ड सोसाइटी के नाम पर बच्चों में जो अलगावपन देखा जाता है, यह एक भयावह स्थिति है, जो समाज को बहुत दूषित करती है। इसका दुष्परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूं, मान्यवर,

[श्री हरि सिंह]

जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं बड़े शहरों के अंदर चाहे वह बैंक डकैती हो राबरी हो, रेल का लूटना हो, किराये पर मर्डर करना हो और अगर आप पिछले दस सालों का सर्वे करें तो इनमें जो क्रिमिनल्स है वे ऐसी फेमिलीज के हैं जो एडवांस्ड हैं, वैल्थ उनके पास है पैसा उनके पास है, खुशहाली उनके पास है। उनके पास तालीम है और जो क्रिमिनल्स हैं वे भी हाइली क्वालीफाइड हैं। वे मिलिट्री के अफसर के बच्चे हो सकते हैं, पुलिस आफिसर के भी हो सकते हैं। सरकारी आई.ए.एस. या आई.पी.एस. के बच्चे भी होते हैं। वे इसलिए कि परिवार में जो उनको मुहब्बत और प्रेम मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह भी है कि आज बच्चों को लोग बर्डन समझते लग गये हैं, बच्चे उनके लिए बोझ बन गये हैं, आज जलके ऐशो आराम के लिए वे रोड़ा बन गये हैं और आप जानते हैं कि बहुत से फेमिली के लोग अपने बच्चों को मार देते हैं, पता नहीं लग पाता है उनका। तो एडवांस फेमिली के नाम पर जो बच्चों को एलोन किया जा रहा है, उन्हें अलगावपन को जिंदगी दी जा रही है इससे वे समाज में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं। तो एडवांस्ड फेमिलीज या खुशहाल प्रासपरस सोसाइटी के बच्चों का यह हाल है कि आज देश के अन्दर उनको क्रिमिनल कह सकते हैं या समाज, परिवार अथवा मां बाप के प्रति विद्रोह करने वाला कह सकते हैं। मैं जानता हूं इसका सीधा परिणाम क्या हो रहा है कि जो ऐसे माहोल में पले बच्चे होते हैं वे अपने मां बाप की परवाह नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि उनके मां बाप आज ताजमहल होटल, अशोक होटल या किसी फाइव स्टार होटल में इवनिंग इन्जाय करने गये हैं। उनकी आत्मा विद्रोह करती है इसलिए वे उनका हुक्म भी नहीं मानते हैं। उनके विपरीत जाते हैं। इसलिए इनके नाम पर समाज में एक विकृतपन आ गया है। अतः मेरा कहना यह है कि जो समाज का दृष्टिकोण है वह बदलना चाहिए। यह तो पहलू है खुशहाल भारत के बच्चों का लेकिन दूसरा पहलू यह है कि बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों के अन्दर बच्चे फुटपाथ में पैदा होते हैं, वहीं पर पलते हैं, वहीं पर दूधिए से लेकर दूध पीते हैं सड़ा गला खाते हैं। इनके जीवनायापन का कोई साधन नहीं, कोई घर नहीं कोई आंगन नहीं, कोई बैठने के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनके मन मष्तिष्क में जो यह विष पैदा हो जाता है जानते हैं यह कितना घातक है। इन फुटपाथ पर पैदा होने वाले बच्चों का कौन रखवाला है, उनकी कौन हिफाजत करने वाला है। जो बच्चे लाखों की तादाद में फुटपाथों में पलते हैं, रहते हैं, हर बड़े शहर में क्या उनके लिए कोई नीति आ रही है। झुग्गियों में स्लम्स में जाकर आप देखें कि बच्चे खुले में खेल रहे हैं, मां बाप, काम रोजगार या मजदूरी पर गये हैं। जो बड़े बड़े हार्ड क्रिमिनल हैं जो गैंग चलाते हैं चाहे वह जुए का हो, स्मगलिंग का हो, क्राइम करने का हो ये ऐसे माहोल के बच्चे को ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, उड़ा ले जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, पढाते हैं और इस तरह समाज के लिए वे खराब हो जाते हैं। समाज में जो अच्छा काम होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। वर्किंग मदर्स का आप देखें। यह एक नयी समस्या आज प्रगतिशील समाज के सामने है। जो उत्थानप्रिय समाज है उसमें बच्चों के लिए एक नयी समस्या आ गयी है और वह यह कि जो वर्किंग वीमेन हैं वे उनको छोड़कर चली जाती हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। बड़े घरों की बात छोड़ दीजिए लेकिन इनके पास बहुत छोटे से क्वार्टर हैं, सबलेट में रहकर गुजारा करते हैं। तो इस तरह से बच्चे दिन प्रति दिन खराब होते जा रहे हैं। अतः जो आज नीति बनाई जा रही है वह आज के समय के लिए अनुकूल नहीं है। मैं जानता हूं कि सरकार बच्चों के लिए पोषाहार की कोशिश कर रही है, गुड़ियों का खिलौना बैंक बना रही है, अंधेपन को रोकने के लिए विटामिन "ए" की गोलियां देते हैं, पोस्टिक आहार देते हैं, कुछ किताबें और बंदियां देते हैं लेकिन इन सब चीजों से राष्ट्र के बच्चों का उत्थान नहीं होता और समाज

को बिगाड़ने से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए बुनियादी उसूल पर बेस करते हुए मजबूत और हर बच्चे को राष्ट्र की धरोहर मानकर, उनका लक्ष्य करके, उनके लिए कोई उम्मीद बनाकर कोई पालिसी लानी चाहिए और बच्चों की पालिसी का इम्प्लीमेंटेशन अगर बच्चों की तरह से किया जायेगा....। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज आप देखते हैं कि यह राष्ट्र हमारा बड़ा विकृत हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बड़े पैमाने पर, राष्ट्रव्यापी पैमाने पर बच्चों के रख रखाव के लिए उनके लालन पालन के लिए, उनको क्रिमिनल्स के हाथ में जाने से बचाने के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी हैल्थ के लिए यह ऐसी स्कीम, एक पालिसी सरकार को बनानी चाहिए जिससे हर बच्चा जो राष्ट्र की धरोहर है, उसको सफल बनाने के लिए उसे शिक्षा दीक्षा सब तरह की दी जानी चाहिए।

आज हमारे देश में बड़ी भारी संस्थायें चलती हैं। उनमें जो बच्चे पलते हैं, उनके हालात यदि आप जाकर देखेंगे, वह तो खुद उनको क्रिमिनल बनाती हैं। उनके साथ मारपीट करते हैं। जिन घरों के बच्चों पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, वह तो अपने घर के खिलाफ बगावत कर देते हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टीटयूशन होनी चाहिए अगर आपको राष्ट्र के अंदर जेल कम करनी है, अगर क्राइम कम करने हैं, तो राष्ट्र के बच्चों को अपनी गोद में लीजिए।

मुझे यह बड़ी खुशी है कि युनिसेफ जैसी संस्था जिसमें 110 मुल्क हैं, वह बच्चों के रखरखाव के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके प्रयत्न से कितना नतीजा निकलता है? इसलिए प्राइवेट संस्थाओं को भी, वालंटरी आर्गेनाइजेशंस को भी हमारी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए—जो संस्थायें सचमुच देश की भावना से राष्ट्र के बच्चों का सुधार करने के लिए, उनके जीवन को यापन करने के लिए काम करती है, उनके लिए इस तरह की यह प्राइवेट संस्थायें होनी चाहिएं।

मैं कहना चाहता हूं कि मिशनरियों की हमारे सामने मिसाल मौजूद है—मिशनरीज जो दूर-दूर से आते हैं, हम कहते हैं कि वह ईसाई बना रहे हैं, लेकिन आज जाकर देखें, जंगलों में पहाड़ियों में और घोर जंगल में उनकी भाषा न जानते हुए भी वह सुंदर औरतें आती थीं और उन्होंने वहां अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने जो शेडूल्ड कास्टस के लोग हैं, जो वनों में रहते हैं, उनके बच्चों को प्यार, प्रेम से पढ़ाया और जीवन यापन किया। वही भावना आज हमारे बीच में अब जब तक नहीं होगी, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता।

इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्र के लिए एक बड़ी स्ट्रांग पालिसी बहुत जरूरी है। आंगन बाड़ी हमारे देश में चलती है और चल रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी का आधा खाना—जिसके घर में आंगनबाड़ी चलती है, जो अध्यापक है, जो वह सेवक-सेविकाएं हैं, उनके जानवर-पशु खा जाते हैं और इतना घपला है कि जो खाना आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए सप्लाई होता है वह मुफ्त में चला जाता है। इस संस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुपरवाईज करने वाला नहीं है, उनके पास कोई कार्य-मोटर तांगा, मोटर-साइकल, इक्का या साइकल नहीं है, वह कैसे जाकर सुरपरवाईज करे। इसलिए बच्चों के नाम पर यह जो एक संस्था पनप रही है, जो उनका संचालन करने वाले हैं, वह सारे बच्चों का हक खा जाते हैं और उनको रहने नहीं देना चाहते। इसलिए उनकी भलाई के लिए जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों से राष्ट्र को, यदि मुल्क को मजबूत बनाना है, तो आवश्यकता है कि राष्ट्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक स्ट्रांग पालिसी, जो परवेसिव पालिसी हो जो कि जीवन के सारे एस्पेक्ट्स लेकर बनाए जाए। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अपने बच्चों को प्यार देंगे, मुहब्बत देंगे और जिनके हाथ में काम हो, उनके दिल भी मां-बाप के से ही हो। अब बच्चों के पालने में वैस्टर्नाइजेशन बहुत आ गया है। अगर उच्च फैमिलीज में जो ताले में बंद करके जाने की पालिसी आ गई है कि बच्चे सुपरपलुअस हैं, यह समझा

[श्री हरि सिंह]

जाए कि बच्चे बर्डन हैं, यह हमारी जो डेली रिक्रिएशन है, जो रुटीन है लाइफ की, उसमें यह दिक्कत पैदा करते हैं, अगर यही वातावरण रहा तो हमारे राष्ट्र के बच्चों का विकृत होना बहुत जरूरी है । इसको कोई रोक नहीं सकता है ।

इन अलफाज के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की बहुत सारी नीतियों के बावजूद, कल्याणकारी जो कार्यक्रम हैं, उनके बावजूद भी बच्चे इग्नोर्ड हैं, बच्चे नेगलेक्टेड हैं । उनके लिए कोई ठोस नियम उनका संचालन करने वाला राष्ट्र स्तर पर, जिला स्तर पर नहीं है ।

यह जो बिल पेश किया गया है, यह इस बात का इंडिकेशन है कि हम बच्चों के बारे में अपनी पालिसी को री-राईट करें, रिवाइज करें, उस पर मनन किया जाए, विचार किया जाए और राष्ट्रव्यापी एक पालिसी बनाई जाए ।

इन्हीं अलफाज के साथ मैं सुरेश पचौरी जी के बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य श्री सुरेश पचौरी ने जो बाल्यकाल बोर्ड विधेयक, 1988 प्रस्तुत किया है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और जैसा कि पचौरी जी ने अपने विधेयक में उल्लेख किया है कि बच्चों के विकास के लिए और बच्चे जो इस देश की अमूल्य निधि हैं, उनके विकास के लिए देश के प्रत्येक जिले में बाल्यकाल बोर्डस की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध कराने हेतु यह विधेयक है और काफी विस्तार से इस विधेयक में भी बतलाया गया है कि किस प्रकार के कार्य इस बोर्ड को दिए जाने चाहिएं, जिसकी चर्चा इसकी धारा 4 में की गई है । अभी हरि सिंह जी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बच्चे जो हमारे राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं, अमूल्य धरोहर हैं इनका समुचित विकास तभी संभव हो पाएगा जबकि हमारा राष्ट्र और हमारी सरकार उन बच्चों की देख-रेख शुरू से ही करें । जब हमारा संविधान पारित हो रहा था उस समय भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में अलग-अलग अनुच्छेदों में जैसे अनुच्छेद 24, 39-अ, 39 ई, 39-एफ, 45 और 47 में इस बात का उल्लेख किया था कि बच्चों के विकास के लिए और बच्चे इस देश में किस प्रकार से आगे चल करके राष्ट्रीय कार्य में भागीदार हों उसका प्रबंध किया था, लेकिन आज संविधान के लागू होने के करीब-करीब 40 वर्ष बाद भी श्री सुरेश पचौरी जी को यह विधेयक लाना पड़ा यह इस बात का सबूत है कि शासन की ओर से इस संबंध में विशेष कदम नहीं उठाए गए । यही सही है कि 1974 में एक-राष्ट्रीय बाल नीति तैयार हुई थी, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई थी । राष्ट्रीय बाल में शुरू में ही इस बात की चर्चा की गई थी :

The policy described the country's children as a supremely important asset.

उसके बाद एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड का भी गठन हुआ और कदाचित इस देश के प्रधान मंत्री उसके अध्यक्ष हैं और इस बात का सबूत है कि बच्चों के मामले में सरकार ने कितना महत्व दिया, लेकिन फिर भी मैंने जिस ओर शुरू में ध्यान आकर्षित किया, मैं संविधान के उन उल्लेखों की ओर इस सदन का और विशेष करके इस विभाग के मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी समय है कि हम बच्चों के विकास के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं । जिस देश में जो संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत हैं उसके अनुच्छेद 39 में कहा गया है :

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

लेकिन जिस तरीके से आज बच्चों को 3 साल की उम्र से, चार साल की उम्र से ही श्रम करना पड़ता है, कुली का काम करना

पड़ता है, छोटे-छोटे होटलों में जा करके चाय ढोने का काम करना पड़ता है या 8-10-11 साल के बच्चों को रिक्शा चलाना पड़ता है, यह इस बात का सबूत है कि बच्चों की उन्नति के लिए बच्चों की उचित शिक्षा हो, बच्चों का कुपोषण दूर हो और बच्चों का विकास करने के लिए उचित साधन हो, इस संबंध में बहुत कम कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 में कहा गया है :

"Provision for free and compulsory education for children — The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

इसी प्रकार अनुच्छेद 47 में बच्चों को जो आहार मिले वह इस प्रकार से मिले कि उसमें उनका कुपोषण न हो, बल्कि अच्छी प्रकार से उनका पोषण हो। इसकी भी इसमें चर्चा की गई है। लेकिन 1979 में जब संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा की कि 1979 का जो वर्ष है वह यह अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा जो उस समय की जो सरकार थी उसने बच्चों के सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम है ; Report of the Committee on Child Labour. और इत्तफाक से श्री गुरुपदस्वामी जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे और हमारे जो मंत्री हैं श्रीमती मारग्रेट आल्वा यह स्वयं भी उस कमेटी की सदस्या थीं और बहुत ही विद्वतापूर्ण यह रिपोर्ट है, काफी पसंद किया था लोगों ने, लेकिन उसका उद्धरण मैं इसलिए करना चाहूंगा कि जो मंत्री जी की रिपोर्ट है आज जब मंत्री जी के पास यह विभाग है तो कम से कम इस किस्म की परेशानियों की ओर विशेषकर बच्चों की परेशानियों की ओर ध्यानआकर्षित किया गया है उसको दूर करने के लिए बहुत जल्दी ही प्रयास किए जाने चाहिए। इस रिपोर्ट का उद्धरण बहुत जरूरी है। यह कमेटी कलकत्ता गई और अपने पैराग्राफ 2.45 में कहा...

उप सभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : यह सोशल वेलफेयर में आना चाहिए था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह चाईल्ड का है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : अच्छा ठीक है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

"In Calcutta, the Committee found a number of children working in gloomy environments in machine-tools and repair shops. The foundry owners had developed their operations by adopting the subterfuge of providing only molten metal, and leaving the foundry work to the contractor. All these children were badly covered in ash and clay and though they earn Rs. 5 a day their physical condition was most pathetic and gruesome."

कमेटी केरल गई। तो केरल की रिपोर्ट है :

"During its visit to Kerala, the Committee came across a paradoxical situation. It was surprising to see that while male workers in certain semi-skilled jobs were receiving a wage as high as Rs. 15 to 20, the children who were employed likewise were given a wage of less than Rs. 2."

जबकि संविधान में इक्युअल वर्क फोर इक्युअल पे है और कमेटी कांचीपुरम, तमिलनाडु गई, उसके बारे में रिपोर्ट है :

"In Kanchipuram in Tamil Nadu the Committee again came across a number of children between the age group of 7 to 14 working on looms. Most of them had never been to school. They were getting a wage between Rs. 60 to Rs. 100, a month. Some of the very young children were being paid as low as Rs. 15 a month."

Then,

"In Shantipur area in West Bengal again children of very young age were founud likewise working

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

on cotton handlooms. Even 6 to 7 years old children had been given the task of preparing reels while a few others, slightly senior in age were operating the looms."

तो मैं इस बात का उद्धरण केवल इसलिए कर रहा था कि चूंकि हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में निरक्षरता है, हमारे देश में बच्चों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता। इसलिए आज बच्चों की यह हालत हो गई है।

मान्यवर, स्वयं जो इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसने यह रिपोर्ट दी कि जो बाल श्रमिक हैं सारी दुनिया में, उसमें हर चौथा बालक जो है, वह भारत का रहने वाला है। तो मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही सामयिक यह विधेयक है और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, भले ही उसकी किसी धाराओं से सरकार सहमत न हो, लेकिन इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं और जो कारण हैं, उससे असहमति कोई सरकार या सदन का कोई सदस्य नहीं कर सकता। इस लिए मैं पुनः एक बार इस विधेयक का जोरदार समर्थन करते हुए सरकार से आशा करता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदया इसका उत्तर देंगी तो उनके उत्तर से हम लोगों को अन्य आश्वासन मिलना चाहिए, चाहे विधेयक, स्वीकार करें या न करें, लेकिन भविष्य में या संसद के इसी सत्र में इस प्रकार का कोई विधेयक अवश्य लाया जाएगा, जिससे कि बच्चों का कल्याण हो और बच्चे आगे बढ़कर विकास करके भारत के राष्ट्र निर्माण निर्माण में सहभागी हों।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : *माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने, इस सदन में माननीय सदस्य श्री पचौरी जी ने जो बाल कल्याण विधेयक प्रस्तुत किया है, उस संदर्भ में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। जो बाल कल्याण विधेयक, 1988 है, उस उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट किया गया है--*

"एक अविकसित देश होने के नाते भारत में अशिक्षित, बेरोजगार और गरीब लोग बहुत अधिक संख्या में हैं। इसके परिणामस्वरूप बालक/बालिका की उन्नति और उचित देखभाल संभव नहीं हो पाती है। बालक/बालिकाएं, जो कि देश का भविष्य हैं, अपपोषित हैं और उन्हें उनकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है : अमीर लोग अपने बच्चों के विकास के लिए धन खर्च कर सकते हैं जबकि अधिकांश गरीब लोग बच्चे के स्वाभाविक सामर्थ्य का उपयोग कर पाने में असमर्थ रहते हैं इसके परिणामस्वरूप इस सवाशर्त का लाभ नहीं उठाया जा रहा और बच्चे का भविष्य अनुपयोजित पड़ा रह जाता है। उचित पोषण और सामर्थ्य संबंधी देखभाल के अभाव में बच्चे उपेक्षित रह जाते हैं और कई असाध्य रोगों के शिकार होते हैं। अतः राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की देखभाल किये जाने की महती तथा अत्याधिक आवश्यकता है। इससे ऐसे बच्चों को, जो बुद्धिमान और होनहार हैं, परन्तु गरीबी के कारण उनका सामर्थ्य अनुपयोजित रह जाता है, अवसर उपलब्ध होंगे। ...

इससे उपयुक्त बच्चों को, उन्हें ऐसे कार्यों में भाग लिए बिना जिसमें उनकी रुचि न हो, उपयुक्त दिशा में शिक्षा उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। प्रस्तावित विधान के अधीन गठित किया जाने वाला बोर्ड बच्चों की योग्यता और क्षमता की समीक्षा करेगा और तदनुसार उनकी बेहतरी के लिए कदमों की सिफारिश करेगा। इस तरह का कदम बालश्रम और विद्यालयों को बच्चों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए जाने पर रोक लगाने में भी सहायक होगा।"

यह विधेयक श्री सुरेश पचौरी जी ने प्रस्तुत किया है। मान्यवर, बच्चे दुनिया में कहीं भी अपने-अपने राष्ट्र और सारी मानवता के सृजन बिंदु होते हैं। वे राष्ट्रों का भविष्य होते हैं। भारत के इन्हीं किशोरों ने स्वतंत्रता

संघर्ष किया और विद्यार्थी बनकर विद्यार्थी आंदोलन चलाया, इस देश को स्वतंत्र कराया । आज भी इस देश का नौजवान भारत के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में लगा हुआ है । वह गरीबी में पल सकता है, अशिक्षित हो सकता है, शारीरिक दृष्टि से त्रुटियों में डूबा हो सकता है, उसे स्वास्थ्यकर पदार्थ खाने के लिए नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उसके अन्दर जो राष्ट्रीयता की भावना है, इस देश को दुनियां का सर्वोच्च राष्ट्र बनाने की जो भावना भरी हुई है वह उसे सब कुछ समर्पित कर, राष्ट्र निर्माण में अपना अस्तित्व विलीन करने की प्रेरणा सदा से देती रही है ।

मान्यवर, बच्चा जनसंख्या रूपी पिरामिड का आधार होते हैं । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार, 14 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या 39.6 प्रतिशत और कुल संख्या 27.10 करोड़ थी । वर्ष 1981 को आयुवार जनगणना से यह पता चलता है कि दो आयु वर्गों अर्थात 14 वर्ष के आयुवर्ग और 5 वर्ष से 9 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों की कुल संख्या जनसंख्या का क्रमश: 14.2 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत थी जिनके पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सहायता और सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही आवश्यक है जिस पर देश का भविष्य निर्भर है जिससे कि उनका देश के निर्माण में सहायक और उत्तरदायी नागरिकों के रु० में विकास हो सके ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, देश में राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में अपनायी गयी थी उस नीति में बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया । इस नीति के अंतर्गत बच्चों के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए तथा जन्म से पहले और बाद में विकास की अवधि के दौरान बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी देश ने अपने ऊपर ली है । इस राष्ट्रीय बाल नीति में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड बनाने की व्यवस्था है जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सेवाओं का नियोजन, समीक्षा और समन्वय करने के लिए मंच तैयार करने और उन पर ध्यान केन्द्रित करने का कार्य करेगी । मान्यवर, राष्ट्रीय बाल बोर्ड 3 दिसम्बर, 1974 को गठित किया गया । पुन: इस बोर्ड की 27 मई, 1986 को पुनर्गठित किया गया जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री थे । वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल, 26 मई, 1989 तक था । सांकेतिक बाल विकास सेवा योजना भी संचालित की जाती है । जिसके अंदर पूरक पोषाहार, रोग निरोधक टीके लगाना, स्वास्थ्य निरीक्षण, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए सदर्भ सेवाएं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है । इस योजना में जो उद्देश्य हैं, वे इस प्रकार हैं--6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषाहार, स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना है । बाल मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल से हट जाने की घटनाओं को कम करना है । बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीती और कार्यान्वियन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना है और बच्चे की सामान्य और पोषाहार संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता बढ़ाना है ।

एक सेमिनार बांडिड लेबर लिबरेशन फ्रंट द्वारा आयोजित की गई थी । इस सेमिनार में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों अर्थात नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के बाल श्रमिकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था । इस सेमिनार में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :--

"गुलाम बालकों को प्राथमिकता देना और उनकी देशीय एकता से इस क्षेत्र में एन.जी.ओ. के प्रयासों को समन्वित करने हेतु नवीन प्रयास करना । बाल बंधुआ मजदूरों की आजादी पर जोर देना । प्रत्येक वर्ष जनता में चेतना तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए 18

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

सितम्बर को गुलाम बालकों के लिए दिवस के रूप में मनाया जाएगा । सेरकारों से बालकों के अधिकार की रक्षा और बालकों की गुलामी को समाप्त करने के लिए सम्मत वैधानिक प्रावधान बनाने और दक्षिण एशिया के देशों में उन्हें लागू करने के लिए कहा जाएगा । विभिन्न देशों के बीच विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान को इस उद्देश्य से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विशेषकर उन कार्यकर्त्ताओं को कार्यदलों के हाथ मजबूत किए जा सकें जिन्हें बालकों की निर्मम दिशाओं के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने पर संगठित विरोध का सामना करना पड़ता है । गुलाम बालकों की आजादी के प्रति समर्पित अलग-अलग व्यक्तियों तथा संगठनों के सम्मेलन का वार्षिक मिलन, नवीन जानकारी बांटने, अंतग्रस्तता का मूल्यांकन करने और भारी कार्य नीति तथा कार्यक्रमों को बनाने के लिए आयोजित किया जाएगा । देश में गुलाम बालकों के किसी विशेष मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाएगा जहां पर वैधानिक प्रावधानों की जांच कराना सभव हो । ऐसी किसी जांच का सटीक प्रलेखन और मूल्यांकन किया जाएगा और निष्कर्षों को सदस्य देशों के बीच आदर्श कार्यवाही के लिए बांट दिया जाएगा । दक्षिण एशिया में गुलाम बालकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त करने और पुनर्नवासित करने के लिए क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों, विधानों तथा प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यायविदों तथा कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा । सेमिनार इर्द-गिर्द गुलाम बालकों की समस्या की जांच करने के लिए सभी संगठनों से अनुरोध करेगा । बालकों की उन अमानवीय दशाओं का अध्ययन और उन पर कठोर कार्यवाही करने तथा उनके लिए नए भविष्य के निर्माण करने हेतु सेमिनार के दौरान निश्चय किया कि सभी संबधित पक्षों द्वारा गुलाम बालकों के लिए चार्टर संबंधी दिल्ली घोषणा को तैयार किया गया था । सम्मेलन में प्रत्येक देश द्वारा भविष्य के लिए कार्य योजना का निर्णय किया जाएगा जो कि अधिकारों के लिए जन संगठन पर बल देगी । दक्षिण एशियाई-देशों के सभी बालकों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए । उनके भोजन, आवास तथा जीवन निर्वाह खर्चों का सम्पूर्ण उत्तर-दायित्व उन डेशों की सरकारों पर होगा । सेमिनार बाल श्रम, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि समस्याओं का अनुसमर्थन करने तथा बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विचार करने के लिए दक्षिण एशिया की सभी सरकारों की बैठक बुलाएगा ।"

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बाल विकास हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है । इसी पर हमारे राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है । "बालक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं" यह नारा हम जरूर देते हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए हम क्या करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है । जहां एक ओर बड़े घरों के बच्चे, साधन सम्पन्न और धनी परिवार के बच्चे जहां सोने के चम्मच मे दूध पीते हैं, वहीं गरीबी के बच्चे, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे, पटरियों पर जिनकी जिन्दगी बीत जाती है वे बच्चे, गटर के कीड़ों से भी बदतर जिन्दगी बिताने वाले मां-बाप हैं जिनके, उनके बच्चे जिस असमानता का शिकार हैं और जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है--मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो या शैक्षणिक शोषण हो, उनकी अपनी प्रतिभा को विकसित करने का मौका नहीं मिलता है और बाल मजदूर प्रथा जो हमारे देश में व्याप्त है वह बहुत बड़ी एक ऐसी दयनीय स्थिति उत्पन्न करती है । हमारी सरकार ने बालकों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी से विरक्त करने का, कानून बनाया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि आज भी देश में उनका शोषण हो रहा है । कानून हमने भले ही बना लिया हो लेकिन आज भी, मैं बनारस का रहने वाला हूं...बनारस में 300 करोड़ रुपए का फोरन ऐक्सचेंज आता है । वहां पर सबसे बड़ा गलीचे

का कारोबार है देश का । वहां के गलीचे के निर्माता कहते हैं कि बच्चों के हाथ मुलायम होते हैं, वे जल्दी जल्दी गलीचा बुनते हैं, इसलिए बाल श्रम कानून को खत्म कर दीजिए । वे मेरे घर आए थे, मैंने उनको घर से निकाल दिया और कहा कि आप अपने स्वार्थ के लिए भारत के भविष्य के जो नौनिहाल हैं उनका शोषण बन्द करें । अगर तुम्हारे बच्चे एयर कंडीशड कारों में जा सकते हैं, कवेंट स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो भले ही वे साइकिल पर चलें, वे झोंपड़ियों में रहें, भले ही एक समय खाना खाए, लेकिन उनका शोषण नहीं होना चाहिए । बाल मजदूरों के नाम पर उनका किसी भी तरह से शोषण न होने पाए जिससे मानवता विकलांग होकर रह जाए ।

श्रीमान, मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा था--

स्वानों को मिलता अन्न वस्त्र,
भूखे बालक किल्लाते हैं ।
मां की छाती से चिपट चिपट
अपनी वे क्षुधा बुझाते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस देश में कुत्तों को अन्न और वस्त्र मिलता है, जिस देश में उस मां की छाती से चिपक-चिपक कर बच्चे दूध पीते हैं जिसमें दूध नहीं बल्कि खून ही रह गया है, अपने पेट की आग बुझाने के लिए, उस देश की हालत आप जानते हैं ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : कौन से कुत्ते हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आपको समय मिलेगा, तब बोलिए... (व्यवधान)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: He was talking of some kind of dogs and their food. I was only asking him what type of dogs.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वे क्रास ब्रीड के लोग हैं ।

माननीय, आज बच्चों से क्राइम का काम लिया जाता है । संगठित गिरोह बने हुए हैं जो बच्चों को क्रिमिनल बनाते हैं । छोटे छोटे बच्चों को बे ले जाते हैं और बाजारों में उनके शरीर का शोषण होता है । बाल मजदूरों के शोषण की बात का मैंने आपको उदाहरण दिया है । इनके अलावा चाय की दुकान पर पटरी पर बैठ कर बच्चों से जूते साफ करने का काम लिया जाता है है । इसी प्रकार का काम करने वाले अनेक प्रकार के बंधुआ मजदूर हैं जिनके कानून बने हुए हैं लेकिन फिर भी बच्चों का शोषण होता है । माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं ।, मैं उनसे निवदन करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों का विवरण जुटाया जाना चाहिए । उनके साथ जो शोष हो रहा है, जो क्राइम वे कर रहे हैं, उनको विकसित न होने देने के लिए जो उन्हें विवश करते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । यह कानून बना है; लेकिन केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलता । एक तरफ बड़-बड़ कंवेंट स्कूल हैं दूसरी ओर गरीब चपरासी है, गरीब किसान हैं और होड लगी हुई है कवेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए । माननीय, बेसिक एजूकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में जिस देश में विभेद होगा वहां समाजवाद नहीं आ सकता । प्रारंभिक शिक्षा में एकरूपता होनी चाहिए । गांधी जी ने भी यही कहा था, बेसिक शिक्षा के संस्थापकों ने भी यही कहा था कि शिक्षा में एकरूपता होनी चाहिए । कवेंट स्कूल ऐसे स्कूल हैं जो पाश्चात्य पद्धति पर चलते हैं । भारतीय संस्कृति का विनाश करते हैं; पापा, डेडी, मम्मा कहते हैं, माता-पिता की प्रवृत्ति छुड़वाते हैं । अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, यथार्थ जीवन-दृष्टि राष्ट्र की छोड़कर उधार ली गई सभ्यता के आधार पर जो देश चलता है वह महान राष्ट्रों में सर्वोपरि नहीं हो सकता । इसलिए शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए । इसलिए जो बच्चे हैं उनको हर प्रकार की आवश्यकता की चीजें उपलब्ध होनी चाहिए । आज बच्चों को दवाइयां नहीं मिलती । कहीं इंजेक्शन में पानी

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

में पानी मिलाकर लगाया जाता है । वे दवाई के लिए तरस जाते हैं । कुपोषण के शिकार होते हैं । उन्हें खाना नहीं मिलता । हमारी सरकार ने और बहुत सी राज्य सरकारों ने बच्चों को शिक्षण में अन्न देने की व्यवस्था की है ताकि वे कुपोषण के शिकार न हों । उसमें यह देखा जाना चाहिए कि एक उद्देश्य हो । सारे देश के बच्चों के विद्यालयों में अगर राष्ट्रीयता की भावना भरी जानी है चाहे वह रिक्शा खींचने वाले का बच्चा है या गवर्नर का बेटा हो सब में समानता की भावना जब तक इस देश में नहीं आयेगी, शिक्षा में स्वास्थ्य में समान अवसर उसको नहीं मिलेगा तब तक लाख बाल विकास योजनाएं बना लें कुछ होने वाला नहीं है । जो हमारी मिशनरियां हैं बहुत सी विदेशों की, वे आती हैं इस देश में, चाहे अरबन कंटरी से सम्बन्धित हो, क्रिश्चन कंटरी से सम्बन्धित हो वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी तहजीब, सभ्यता का प्रकार करने के लिए सिविलाइजेशन का प्रचार करने के लिए हर क्षेत्र में जहां पिछड़े हुए लोग हैं जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुचती है, जहां रेल की पटरियां नहीं हैं, जहां उद्योग धंधे नहीं हैं, जहां पिछड़े हुए लोग रहते हैं, पहाड़ की कंदराओं में उन स्थानों को चुनते हैं । वहां पर अपने जो मिशनरी स्पिरिट से काम करते हैं ऐसी मिशनरी स्पिरिट से जनहित में काम करने वाली संस्थाओं को अगर कोई छूट दी जाती है तो उसे राज्य की ओर से स्वीकृति मिलनी चाहिए । उससे हमारी भारतीयता नष्ट नहीं हो रही है । इस बात पर हमें विचार करना चाहिए ।

आंगनवाड़ी की बात उठी थी । आंगनबाड़ी के बारे में एक बार मैंने कंसलटेटिव कमेटी में बात उठाई थी, माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा, डेढ़ सौ रुपया बच्चों के पालन-पोषण के लिए मिलता है जबकि डेढ़सौ रुपये में चाय भी काग्दे से पी नहीं सकते, डेढ़सौ रुपये में बच्चों का पालन पोषण आंगनबाड़ी में कैसे हो सकता है ! हम जो काम कर रहे हैं उसमें पूर्ण आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, कम करें लेकिन ठोस कर इसलिए आंगनबाड़ी के कार्यक्रम के लिए धनराशि बढ़ाने की जरूरत है । आज वेस्टर्नाजेशन सारी चीजों का हो रहा है, हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं । यहां पर मैंने पढ़ा था बचपन में :—

शिष्य एक गुरु के हैं हम सब एक साथ पढ़ने वाले,
एक फौज के वीर सिपाही एक साथ पढ़ने वाले,
धनी-निर्धनी ऊंच-नीच का हम में कोई भेद नहीं,
एक साथ हम सदा रहें तो हो सकता कुछ खेद नहीं,
हर सहपाठी के दुख को हम अपना ही दुख मानेंगे,
हर सहपाठी को अपने से ज्यादा ही प्रिय मानेंगे ।
अगर एक पर पड़ी मुसीबत मिलकर सब दे देंगे जान,
सदा एक स्वर से सब भाई गायेंगे स्वदेश का गान ।

यह मध्य प्रदेश के बहुत बड़े कवि व्याकरणाचारी पंडित कांता प्रसाद की कविता है जैसे मैंने कक्षा चार में पढ़ा था । यह भावना हमें जागृत करनी होगी । स्वतंत्र राष्ट्र से, स्वतंत्र ढंग में अगर हमें बालकों का विकास करना है तो शासन को बड़े कदम उठाने होंगे इस क्षेत्र में । वह कड़े कदम तभी उठ सकते हैं जब हम डिसपैरिटी, विभेद जो ऊंच-नीच का है उस दीवार को तोड़ें । अधिक सम्पन्न लोगों को अधिक सुविधा मिले, गरीब लोगों को कम सुविधा मिले इस चीज को हमें मिटाना होगा युद्धकी विभीषिका का कहर जिस प्रकार से यूरोपीय देशों, मध्य एशिया देशों, दक्षिण-पूर्वी देशों, जैसे वियतनाम कम्बोडिया, कोरिया, लाओस, जापान के बच्चों पर गिरा, कैसी विचित्र हालत हुई उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हो गये और अनजान व्यक्तियों से ग्रसित

हो गये, वे बच्चे युद्ध के अभिशाप को आज भी ढोह रहे हैं । वहीं तृतीय विश्व के देशों एवं अन्य विकासशील देशों के बच्चे कुपोषण के शिकार हुए, अर्थाभाव के कारण पोषाहार की कमी हुई । ये बच्चे अज्ञानता के अंधेरे में शिक्षा, स्वास्थ्य के अभाव में अंधेरे में भटक रहे हैं । बढ़ती आबादी भी बच्चों पर होने वाले कहर का प्रमुख करण है । आबादी पर हम को नियन्त्रण लगाना चाहिए और इस तरह से नियन्त्रण लगाना चाहिए कि जरुरत पड़े तो जो हमारा मानदंड है दो या तीन बच्चे उससे अधिक बच्चे अगर कोई उत्पन्न करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाए तब जाकर इस देश में अच्छा काम हो सकेगा और सारी हमारी योजनाएं कार्यान्वित हो सकेंगी । इसी सदन में मैंने कहा था बेकारी की समस्या पर कि जिन मंत्रियों के दो या तीन से अधिक बच्चे हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए केबिनेट से या जहां भी हों, जिन प्रांतों के मंत्री हों । यह हंसने की बात नहीं है । हम अगर सिद्धांत अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, निर्माता सिद्धांत को अपने ऊपर लागू नहीं करेगा तो कतई हम उसको इम्पलीमेंट नहीं कर सकते जनता के बीच में ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : आप पहले सेन्टर के मंत्रियों की जांच करवा लीजिए और उनसे त्याग-पत्र मांग लीजिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैंने इस सदन में कहा था । भारत विकासशील देशों में बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है । लेकिन हालत भिन्न है । इतनी आबादी के बावजूद हमने बाल कल्याण को जिस तरह से संतुलित और सुसंस्कृत ढंग से चलाने की कोशिश की है उस पर गर्व भी करना चाहिए । हमारे देश में विशेष कर ग्रामीण बच्चों में अज्ञानता है । आज भी स्कूल नहीं है । बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते है । गांवों में बाल विकास में अवरोध हो रहा है । उसको देखना है । हमारी विकास योजनायें ग्रामोन्मुख है । उसमें बच्चों पर विशेष बल हमारी सरकार को देना है और देगी । अगर आबादी का अनुपात इसी तरह से बढ़ता गया तो हम लाख योजनायें बनायें, हमें सफलता नहीं मिल सकती है । बाल विकास की समस्या सिर्फ अज्ञानता के कारण ही है और इस क्षेत्र में निरन्तर चिन्तन की गति का अभाव है । बच्चों को यातनायें दी जाती है । योजनायें ढंग से कार्यान्वित नहीं होती हैं । इसमें जन सहयोग की भी अपेक्षा है । सिर्फ सरकार के भरोसे यह काम नहीं हो सकता है । इसमें जनता का पूरा सहयोग होना चाहिए । भारत में शिशु मृत्यु दर 1965 में 115 प्रति हजार थी । 1984 में यह कम होकर 90 रह गई है । परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1984 में ही चीन में 36 और श्रीलंका में 37 थी और अन्य यूरोपीय देशों में 18 है । प्रश्न योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके अन्तर का है । भिन्न देश है, भिन्न परिवेश है, भिन्न-भिन्न आधारों पर बुनियादी मूल्यों में अन्तर है । बाल विकास के संबंध में सारे विश्व में एक रूपता होनी चाहिए । भिन्न वातावरण हो सकता है और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन भी होना चाहिए । मूल सिद्धांत को बाल विकास में एक रूपता के साथ लागू करना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है । कारण अज्ञानता है । प्रजनन भी अस्वास्थ्यकर है । परिस्थितियों और मां पर हमें विशेष ध्यान देना होगा । गांवों में हर जगह सुन्दर अस्पतालों की व्यवस्था करनी होगी । पुराने तौर तरीके इतने सीमित हो गये है, इतने पुराने हो गये हैं, इतने अनुपयोगी हो गये है कि हमें उनको मिटाना होगा । जो कुरीतियां, कुटेव और रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज के नाम पर जो शोषण की प्रवृत्तियां है उनको बंद करना होगा । बच्चे सब

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त होते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे बीच में अभी भी अंध-विश्वास है । जादू ,मंत्र और टोना अन्ध-विश्वास पर आधारित होते हैं । जादू, टोना और मंत्र से बीमार बच्चों को ठीक करने की कोशिश की जाती है । ऐसी चीजों पर कड़ाई के साथ नियंत्रण लगाया जाना चाहिए । अन्धविश्वास से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । इनको कड़ाई से रोका जाना चाहिए । आज आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रभावशाली जन जागरण बाल कल्याण के बारे में चलाया जाना चाहिए। शैक्षिक आधार, सामाजिक चेतना के आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिए । मां के बारे में कहा गया है, पुत्रों जायते कुतचित, माता कुमाता न भवति । हो पुत्र कुपुत्र भले हो, माता कुमाता न हो । यह इस देश की संस्कृति है । नारी मां भी है, नारी पत्नी भी होती है, नारी बहिन भी होती है और वही नारी बेटी भी होती है। एक आदर्श के रूप में उसमें सब रूप निखरते हैं । इस व्यक्तित्व को जितनी महिमा दी जाएगी, महिलाओं के द्वार बाल-विकास के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक महत्व मिलता रहेगा और हमारे बाल विकास के कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से सफल हो सकेंगे । अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों का अभाव है । दवायें वहां नहीं मिलती हैं । अनपढ़ों के साथ पढ़े-लिखे डाक्टर या जो कर्मचारी हैं वे भी व्यावहारिक रूप से व्यावहार करते हैं । उनके व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए । हास्पिटिलिटी से बहुत कुछ ठीक हो जाता है । आधा रोग ठीक हो जाता है सदव्यवहार से। सदव्यवहार संस्कार में होता है। इन संस्कारों को जागृत करने के लिये जो डाक्टर गावों में जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाय। आवश्यकता इस बात की है कि 15 से 45 वर्ष की महिलाओं में एक प्रभावशाली साक्षरता तथा जन जागृति का अभियान चलाया जाए । हमारी सरकार ने 30 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण आप सब के सहयोग से किया । जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य, पोषाहार और बच्चों के साज संवार की महत्वपूर्ण बातें समाहित हों । यद्यपि इस संदर्भ में छठी योजना में तो एक पृथक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, वयस्क महिलाओं के लिए साक्षरता में सफलता अवश्य मिली और इसको और भी आगे बढ़ाना जरूरी है । पोषाहार संबंधी सर्वेक्षण पिछले वर्षों में हुए हैं । इन अध्ययनों से पता चलता है कि कुपोषण से ग्रस्त अधिकांश बच्चों के स्वास्थ्य के लिये मां का खराब स्वास्थ्य जिम्मेदार है । ग्रामीण महिलाओं में 60-80 प्रतिशत तक खून की कमी है। बाल कल्याण की पहली सीढ़ी है महिला कल्याण । जब तक महिलाओं का कल्याण नहीं होगा, वह दुहिता भी होती है, अर्धांगिनी भी होती है, मां भी होती और अनजा भी होती है । इन चारों रूपों को विकसित करने के लिये मातृ कल्याण और महिला कल्याण की आवश्यकता है । महिलाओं में प्रसूति के दौरान रोग निरोधक टीकों की अपेक्षित जानकारी महत्वपूर्ण है । अभी भी महिलायें टीकों से अपने अंधविश्वासों के कारण घबराती हैं । जिसके कारण पोलियो, विकलांगता, क्षयरोग टिटनस, डिप्थीरिया और कुकरखांसी जैसे रोग बालकों में व्याप्त हैं । ग्राम पचायतों को इस क्षेत्र में व्यापक अधिकार दिए जांय । बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार तथा शिक्षा ग्राम पंचायतों की निगरानी में रहें और उनका पूरा अधिकार हो तथा उन्हीं का नियंत्रण रहे । बाल विकास के सारे कार्यक्रम ग्राम पचायतों के नियंत्रण में दिया जाना पूर्णत: प्रासंगिक तथा सामयिक है और महती आश्यकता भी क्योंकि भारत एक विशाल देश है, महान देश है, गांवों का देश है और बहुसंख्यक जनता गांवों में रहती है । छोटी छोटी इकाइयां ही इन सेवाओं पर कारगर ढंग से नियंत्रण कर सकती हैं और उनका कार्यान्वयन उचित ढंग पर हो सकता है ।

मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी, बाल विकास का प्रमुख घटक है पोषाहार । ग्राम पचायतों के माध्यम से ही इनका उचित वितरण हो । केन्द्र की योजनायें हैं परन्तु अंतिम लक्ष्य तक पहुचते पहुंचते वह पोषाहार, 40 पैसे प्रति बच्चा मात्र रह जाता है और आज के युग में

40 पैसे का महत्व क्या है। हमारा सुझाव है कि बच्चों के पोषहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पचायतों के क्षेत्राधिकार में ही हो। उत्पादन से वितरण तक, विटामिनों से युक्त पोषाहार की उपज ग्रामीण क्षेत्र में हो। कृषि की स्थिति यह है कि अनेक या बहुसंख्य गांवों में सिर्फ व्यावसायिक आधार पर ही कृषि की जा रही है। लेकिन पोषक आहारों की उपज पर कोई ध्यान नहीं। ग्राम पचायतें अपनी भूमि पर गांव के बच्चों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए आहारों की उपज करें। ये सामूहिक हों और गांव की अपनी आवश्यकता को परा करे। गाजर, भली, शाक-भाजियां, सोयाबीन, मंगफली पंचायती जमीन पर हो सकती है जिस पर पंचायत का नियंत्रण हो तथा बच्चों में समान वितरण हो।

यह प्रत्येक गांव के लिए अनिवार्य कर दिया जावे कि उन्हें पोषक आहार उपजाना चाहिये, गांव के बच्चों और महिलाओं के लिये। बच्चों के पोषक आहार में दूध और अडों का महत्व है। ये भी गांव की जरूरत के मुताबिक ग्राम पचायतें मुर्गी पालन और डेयरी संचालन करके लोगों को उपलब्ध करवा सकती हैं। आवश्यकता है सरकारी अनुदान की और पंचायतों द्वारा कर्तव्य निष्ठा की ताकि गांव के स्कूलों तथा घरों में बच्चों को उचित पोषाहार उपलब्ध हो सके

महोदय, यद्यपि, आंगन बाड़ी और बालबाड़ी जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आंगनवाडी के माध्यम से पहले उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाये। 150 रुपये में आज के युग में कोई काम करने के लिये तैयार नहीं है, इतने में कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो सकता। एक सामूहिक जिम्मेदारी उनकी ली जाय। जिस तरह से आंगन बाड़ी योजना बड़ी उच्च दृष्टि से बनाई गई थी, यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी।

सामूहिक दायित्व का निर्वाह उस में होना चाहिये। सरकार ने तीन से पांच वर्ष के बच्चों को पोषक आहार देने के लिए स्थानीय संस्थाओं से मिल कर के बहुत से कार्यक्रम बनाए। बाल-बाड़ी के लिए 1982 में 157 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी और 6246 शिशु गृहों की स्थापना हुई थी परन्तु इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। अगर मन्त्री महोदय उनकी जांच कराए तो पता लगेगा। बहुसंख्य ग्रामीण क्षेत्र आज भी अछूते हैं। रह गया जो हमारे ग्रामीण विकास बच्चों के कार्यक्रम हैं उनका अच्छी तरह से इम्पलीमेंटेशन और कार्यान्वयन का काम। हमारी जो योजनाएं है वह स्थानीय आधार पर वहां की क्या आवश्यकताएं हैं गांवों की क्या आवश्यकताएं हैं उन विशेष गावों के आधार पर बनाई जानी चाहिये। शहरी क्षेत्रों में भी मध्यम वर्गीय समाज की अपेक्षा निम्न वर्गीय समाज में यह समस्या मुंह बाए खड़ी है। झोंपड़ पट्टियों में रहने वाल बच्चों की शिक्षा, आहार और विकास की ओर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये। वह महज कुछ स्वय सेवी सस्थाओं और सगठनों पर आधारित नहीं रहना चाहिए। रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर आकर्षित हो कर जो लोग आते हैं उनके परिवार को रोजी-रोटी कमाने के चक्कर में उनके बच्चे झोंपड़-पट्टियों में पर्ण तया उपेक्षित हैं, न पोषाहार मिल रहा है, न स्वास्थ्य की सुविधाए मिल रही हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वहां पर झोंपड़-पट्टियों का निर्माण न होने दें यह अवैध है तथा जिन पिताओं को बच्चों को रोजी-रोटी की चिन्ता है उन को संरक्षण देना चाहिये और उन्हें सहो ढंग से काम देना चाहिये। बच्चों का शोषण करने वाले जो लोग हैं वे राष्ट्र के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और सफेदपोष बनाकर के बड़े बड़े महलों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले बड़े बड़े कल-कारखाने चलाने वाले, बड़े बड़े बैंक-बैलेंस स्थापित करने वाले इन अपराधियो को जो बाल शोषण कर रहे हैं उनका स्थान कानून के तहत जेल के भीतर होना चाहिए और एसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए अगर बाल कल्याण बोर्ड के माध्यम से इस देश में समानता की भावना आपको जागृत करनी है तो। जो राजनीति में लोग हैं वे संरक्षण की बात करते हैं। बालकों नारियों और बालविकास की चिन्ता उन्हें है लेकिन उनकी कथनी, करनी और चिन्तना में एकरूपता होनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा की नीति ऐसी है जिसमें एकरूपता नहीं है। मैंने शरू में ही कहा कि कहीं बच्चे कानवेंट पढ़ते हैं और कहीं फटे हुए टाट पर बरगद

[डा० रत्नाकर पाण्डय]

के पेड़ के नीचे टूटी हुई पेंसिल से फूटी हुई स्लेट पर अक्षर लिखने के लिए भी नहीं मिलता है, जो वहां पढ़ाने वाले अध्यापक हैं व गांव में खेती करते हैं। बच्चों से भेंस चरवाते हैं. उन पर भी नियन्त्रण होना चाहिये। भारत का भविष्य आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को जो लोग अंधकारमय करते हैं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों चाहे जनसेवा के क्षेत्र में हों चाहे उद्योग के क्षेत्र में हों यह जो सफेदपोष क्रिमिनल हैं इन के विरुद्ध कड़ाई से अनुशासनपूर्ण कार्यवाही करनी होगी : उनके लिए कानून बनाना होगा और भारत की संस्कृति है--

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया

इस भावना से हम भरे हुए हैं। विश्व एक कुटुम्ब है और उस कुटुम्ब में बालक आने वाले भारत का निर्माता है और उसी के बल पर हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21 वर्षों के बाद दुनिया का सब से बड़ा राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक दृष्टि से और समस्त दृष्टियों से बनाने की परिकल्पना की है और उस परिकल्पना में अगर हम नयी नस्लों को जो मां के गर्भ में बच्चे हैं या आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाते हैं जिनको हम सुगठित पोषण-आहार दे सकें उनके लिए उन्मुक्त वातावरण दे सकें --तनावों काया उन्मुक्त और चिन्तन में खोया मन होगा बच्चे चिन्तन में पड़ जाये और उनके होठों की मुस्कराहट खत्म हो जाए, उनकी आंखों की चंचलता खत्म हो जाए, उन्हें पेट की ज्वाला सताए जब उसका शिक्षा प्राप्त कर के सफल नागरिक बनने का समय है उस समय पसीने से तर-बतर अपने पेट की ज्वाला की शान्ति के लिए शोषण के माध्यम से काम करने पड़ते हों... अपनी उदरक्षुधा की शांति के लिए, तब इस देश में क्रांति नहीं हो सकती, क्रांति निर्माण के लिए जब तक बाल विकास के माध्यम से हम क्रांतिकारी कदम नहीं उठायेंगे तब तक हम लाखों बोर्ड बना लें कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है विकलांग बच्चे या जो अन्धे बच्चे हैं, जो डाउन ट्राडन हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई संरक्षक नहीं है। इनके लिए सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थायें बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें उनसे, जो सनाथ हैं, जो संरक्षक सहित बच्चे हैं, जो सम्पन्न बच्चे हैं, जो सद्पोषण पा रहे हैं जो सुशिक्षा पा रहे हैं, समानता दी जाये और उनको डिसेबुल समझकर उन्हें पा, दया, दयनीयता का पात्र न बनाया जाये। अगर शुरू में दयनीयता की पात्र भारत की सन्तान बन जाती है आने वाली पीढ़ी तो आप लाख उपाय कर लें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वे क्लीन स्लेट होते हैं, क्लीन स्लेट पर जैसा हर्फ लिखेंगे वैसा ही अक्षर उभरेगा और उनके मानस पटल एकदम निर्मल होते हैं, उस निर्मल मानस पटल पर विभेद की भावना न बढ़े, हम किसी से छोटे, हमसे बड़े लोग हैं, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम विकलांग हैं, हम संरक्षकविहीन हैं, उनके भीतर अगर इन्फीरियारिटी की भावना भरते हैं या हीन मनोवृति उनमें जागृत हो जाती है तो इस राष्ट्र का भावी भविष्य दूषित हो जायेगा जबकि दूषण, कुपोषण और कुशिक्षा से बच कर हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली सन्तानों को राष्ट्र के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते हैं जहां के लिए कहा गया है कि हमारा लक्ष्य किसी पद पर स्थिर हो जाना नहीं है बल्कि वहां तक पहुंचना है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता है, उस मंजिल तक पहुंचना है जहां मुकाम खत्म हो जाता है और उस मुकाम तक अगर पहुंचने का लक्ष्य हमने बनाया है तो आज जो हमारे माननीय सदन के सदस्य विद्वान, वैज्ञानिक सदस्य और आज सवेरे अपने भाषण में इन्होंने कहा कि मैं पंडित पुत्र हूं, पंडित पुत्र ने जो कुछ इस सदन में रखा है सुरेश पचौरी जी ने, उनके स्वर से स्वर मिलाते हुए मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बाल कल्याण बोर्ड विधेयक, 1988 जो आया है और इसमें जो हम विकसित हो रहे हैं राष्ट्र हैं और दुनिया की तीसरी ताकत का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र हैं और इस राष्ट्र की आने वाली सन्तानें इतनी सबल हों सजग हों सुदृढ़ हों, सुशिक्षित हों, सज्ञानतापूर्ण हों और सवर्गों में न बंटी हों बल्कि

सबको मिला करके विश्व की एकरूपता को नियामक बनने की शक्ति रखती हों। ऐसा नियमन होना चाहिए और वह नियमन हम विश्वास करते हैं कि राजीव गांधी के नेतृत्व में उनके प्रधान मंत्रित्व में हमारा सरकार इस देश की जनता के सहयोग से अवश्य प्रदान करेगी इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपसभाध्यक्ष जी मैं आपका कृतज्ञ हूं जो इतने विस्तार से अपने विचार प्रकट करने का मुझे आपने मौका दिया। पुनःपुन आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Bill introduced by Mr. Suresh Pachouri. Sir, in this country more than 270 million people are suffering with malnutrition. Every year about 6 to 8 crore children are impaired both physically and mentally in all the faculties for want of nutricious food. In addition, another two crores of mentally retarded children are there in this country. Whether it is burns, food poisoning, drowning, wounds or traffic accidents or victims of communicable diseases, 40 per cent of our children they do not see their sixth birthday and at least 1.60 crores of our children in the age group of 1 to 5 years are dying due to one of the above mentioned diseases or accidents, or whatever it is. In this country, more than 7.8 lakh children die every year due to measles; more than two lakh children die every year due to polio and by titanus at least 2.5 lakh children die every year; by woofing cough, another two lakhs. All these deaths can be avoided by simple vaccination but we are not able to save these children in the country and about 15 lakh deaths occur every year amongst the children. Taking the entire world figures, we can proudly say, or we can deviously claim that more than 40 per cent of these deaths among children due to measles, polio, titanus and woofing cough are in our country. Then about 75 per cent of our children suffer from cold; about 66 per cent of our children suffer from cough; 18 per cent suffer from scabies; 40 per cent suffer from measles.

As far as education is concerned, Malaviyaji mentioned about article 45 in the Directive Principles according to which, we were to impart education to all our children in the age group of 6 to 14 within ten years of the Constitution coming into force. But to our dismay, less than 30 per cent of our children are able to complete schooling; only two-fifths of our children in the age group of 5 to 14 are literates and thus article 45 has been given a complete go-by in this country. If anybody is to be blamed for this sorry state of affairs among our children, it is the party and the government that is ruling the country since independence in 1947, except for a short spell between 1977 and 1980. That party and their leaders are to be blamed for all this. Shri Ratnakar Pandey in his long speech said about slate, pencil, this and that If anybody is to be blamed for all these evils, it is Mr. Rajiv Gandhi, his mother, his grandfather and people like Mr. Ratnakar Pandey who are to be blamed for all these evils....

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I am on a point of order. The hon. Member is speaking on the Child Welfare Bill and he is blaming Mr. Rajiv Gandhi, Shrimati Indira Gandhi, and all others. These evils have been there in this country for centuries together and we are trying to eradicate these things from society. So, instead of giving some valuable suggestions on eradication of these evil practices, he is blaming us, which is not fair. And I want your ruling.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): What he means is, the Government that is in power and has to look after the people is responsible; it is the reponsibility of the Government to root out all these evils. You wanted my ruling. He does not mean to denigrate any individual; he is blaming the Government.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: He is blaming everybody. He left only Mahatma Gandhi because he did not take any position.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): There is nothing wrong; he has blamed those who have been in power.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: At the same time he should have taken the name of Shri N. T. Rama Rao who is ruling Andhra Pradesh. I would have appreciated it. Why is he taking the name of Shrimati Indira Gandhi and ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): They were the Prime Ministers and at the helm of the Government.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: May I now from you or from the hon. Member whether any child welfare programme has been implemented in Andhra Pradesh? This matter should not be politicised. My friend is a very learned person. You don't know, we belong to the same field of agriculture. He graduated and did post-graduation and I am also from the same field.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Your turn will come and you can speak.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: We adopted ICDS — Integrated Child Development Scheme since 1974 but little has been done in this regard to implement the aims and objectives of the ICDS and the Child Labour Act has been given a complete go-by. Right under our nose, at a stone's throw from the Parliament House and the Central Secretariat, child labour is being engaged for every odd job. People are sleeping on the pavements. They are sleeping on the platforms. Whenever we travel by train or by bus...

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): What about Andhra platforms?

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Karnataka platforms, Delhi platforms and U.P. platforms are much worse. Bihar platforms are the worst of the lot.

SHRIMATI MARGARET ALVA: It is a national problem.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Whenever we travel by train, we see some boys entering the coaches and cleaning them. When we ask them about their father or mother, they do not give any answer at all. They are just vagabonds. They are orphans. Therefore, the Government should formulate a scheme to see that these orphans, these vagabonds, are beneficially trained not only for the welfare of the country but for the welfare of the children themselves.

The Child Labour Act is there. But there is no point in enacting laws and giving them a go-by. There is no point in your enacting various laws unless you implement them. Much is to be done in the field of pre-natal and post-natal care, vaccination, health of school-going children, mid-day meal and other things. Nothing has been done by the Government so far in these directions. Of course, in one or two States like Tamil Nadu, the mid-day meal scheme was introduced. Because of the mid-day meal scheme, attendance in the schools, specially, from the working class and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, has improved. Therefore, you should take it up as a national policy and see that some food is provided to these children, particularly, to the children belonging to the vulnerable sections of the society. By this, the rate of drop-outs in the schools would come down.

There are problems like child-bearing, and other problems. All of us are aware that procreation is the only recreation in the country. You should see that something is done to reduce the population in the country. Sex, intercourse, is the only indoor game in the country. You should develop some outdoor games for them so that procreation can be reduced to a certain extent.

The problem of migrant workers is there. Children are being engaged. There is the Anganwadi problem about which Dr. Ratnakar Pandey spoke a lot. There is a nexus between the workers and the slum-lords in various places in the country depriving the benefits for the children and their mothers. The problem is much worse in the rural areas compared to the urban areas. Nothing has been done so far. No welfare measures have been undertaken for the benefit of the children in the rural areas. No welfare measures have reached them. You should see that the welfare measures you take percolates down to the rural areas, specially, the agricultural sector. The problem in the rural areas is that the agricultural labour and others in this sector think that children is their wealth. When the children attain the age of six or seven years, tey are engaged in the field, to take care of the buffaloes, oxen, bullocks etc. Unfortunately, this dictum has not changed. Therefore, you should see that some benefits and incentives are given to the children of the agriculturists and agricultural labour who are attending the schools, who are going to the schools. Unless we give such incentives, the problem of drop-outs cannot be solved; the rate would not come down. There is no point in having this *yojana* or that *yojna*. You should see that all these schemes are worked for the benefit of all with fruitful results.

Thank you.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि बाल कल्याण बोर्ड विधेयक, जो श्री पचौरी जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया। यह विधेयक इतना व्यापक है कि मैं भी अगर चाहूं तो पाण्डेय जी की तरह से घंटे भर बोल सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को मानने वाला हूं कि प्राइवेट विधेयक जब आए तब कुछ एक समय तय कर देना चाहिए कमेटी को भी और या सदन को भी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार इसमें आ सकें। अभी मेरे मित्र शिवाजी, जिनको मैं किसानों का एक बड़ा अच्छा नुमाइंदा मानता हूं, उन्होंने एक आक्षेप लगा दिया है जवाहर लाल जी तक, तो यह जरा उचित नहीं है। जवाहर लाल जी, इंदिरा जी यह देश के वह लीडर हैं जिन्होंने इस गुलाम देश को आजाद करा दिया, यह इन्हें समझ लेना चाहिए। देश गुलाम था और गुलामी के नक्शों पर अगर मैं पेश करूं, तो अलग बात होगी। लेकिन जिन्होंने गुलामी देखी नहीं है, आज की पीढ़ी ने, और आजादी के लिए बलिदान भी नहीं देखे, वह आज कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वह महापुरुष थे, उनको इतने हल्के फुल्केपन से कभी नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने सारा जीवन दे दिया देश के लिए। खैर, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाल-विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं, जो पचौरी जी ने रखा है, व्यक्ति, परिवार, समाज-राष्ट्र इन तीन चीजों में बंट जाता है और सरकार का नंबर फिर आता है इनके बाद में। यह सही है कि सरकार की सब कुछ जिम्मेदारी है, मगर समाज को, व्यक्ति को, परिवार को सब कुछ सरकार और कानून पर छोड़ देना भी हमारे देश के लिए एक और खराब बात होगी। सब कुछ सरकार करेगी, व्यक्ति, परिवार, समाज कुछ भी नहीं करेगा, तो वह देश को कमजोर करने की एक भावना है। फिर कानून और सरकार तभी व्यापक हो सकते हैं जब सारा राष्ट्रीयकरण हो जाय हर चीज का, कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरह से सब कुछ राष्ट्रीयकरण कर दें। तब तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी आपत्ति होती है, शिकायत होती है और अब वहां भी यह पद्धति तब्दील हो रही है। लिहाजा इस तरह के

[श्री राम चन्द्र विकल]

विधेयक जब आते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या समाज की जिम्मेदारी है, क्या व्यक्ति की जिम्मेदारी है, माता-पिता की क्या जिम्मेदारी है, परिवार की क्या जिम्मेदारी है, गुरू की क्या जिम्मेदारी है। उसके बाद सरकार और कानून की क्या जिम्मेदारी है इन सब के बाद यह आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माता-पिता का प्रभाव बच्चे पर गर्भ में ही पड़ जाता है। यह तो आपने अभिमन्यु की कथा से सुना होगा। मां-बाप के विचार कितने व्यापक होते हैं बच्चे के जीवन के लिए, गर्भ में ही बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, यह अभिमन्यु की कहानी इतिहास-प्रसिद्ध है इस देश में। हमने देखा है अनेक बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि मां-बाप से पैतृक बीमारियां बच्चे को आ जाती हैं। प्रायः मैं देख रहा हूं मुझे की बीमारी हार्ट की बीमारी है डायबिटीज की बीमारी है, अनेक-अनेक बीमारियां बच्चे में मां-बाप से ही आ जाती हैं। लिहाजा मां-बाप बच्चे को जब जन्म देने की तरफ सोचना चाहिए कि बच्चा किस तरह का हो क्योंकि वह वैसा ही होगा जैसे मां-बाप के विचार होंगे, जैसे मां-बाप के संस्कार होंगे, जैसी मां-बाप की शिक्षा-दीक्षा होगी। मातृवत्, पितृवत्, आचार्यवत् यह तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला, माता का दर्जा है फिर पिता का दर्जा है और फिर गुरू का दर्जा है। इन तीन दर्जों को हम इस बात का ध्यान विधेयक में अपेक्षित नहीं रख सकते। इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि माता का कर्त्तव्य क्या है, पिता का कर्त्तव्य क्या है, गुरू का कर्त्तव्य क्या है? फिर आता है राष्ट्र और कानून का क्या है? यह सब यहां आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा जो समाज है, उसका बड़ा भारी असर बच्चे पर होता है। समाज जैसा है, वैसा ही बच्चा बनता चला जाता है। व्यक्ति और परिवार के बाद जब बच्चा समाज में जाएगा तो समाज की व्यवस्था जैसी होगी, उसमें वह ढलता चला जाएगा उससे प्रभावित होता चला जाएगा। हमारी सामाजिक स्थिति बच्चों को जैसे वातावरण में रखेगी वैसे ही बच्चे बनते चले जाएंगे। लिहाजा सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चों में कुरीतियां पड़ने या कुसंस्कार पड़ने का मौका न आए। यह समाज की जिम्मेदारी है। हां सरकार की जिम्मेदारी आती है, लेकिन उसके बाद।

उपाध्यक्ष महोदय, बचपन के संस्कार का असर रहता है। बचपन में जो विचार पड़ जायेंगे, संस्कार पड़ जायेंगे, वह अमिट होते हैं, कभी मेटे नहीं जा सकते। हमारे समय में एक प्रार्थना स्कूल में गाई जाती थी—हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो। यह लंबी प्रार्थना थी, लेकिन देशभक्ति से ओतप्रोत थी—"हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को, तो मातृभूमि पर प्रथम रखे हमारे प्राण हों"...

महोदय, यह प्रार्थना हमको पढ़ाई जाती थी कि देश को अगर नौजवानों की कभी जरूरत पड़े तो मातृभूमि पर हमारे प्राण रखे हों, अर्पित हों। यह हमने स्कूलों में पढ़ा था और यही कारण था कि लोगों ने प्राणों की आहुति देकर के देश को आजाद करा दिया, चाहे भगतसिंह हों, चाहे सुखदेव हों, चाहे राजगुरू हों, चाहे चन्द्रशेखर आजाद हों, अनेक-अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इन प्रार्थनाओं को गा-गाकर अपना बलिदान दिया। यह एक असर होता है कि हम किस तरह के संस्कार बच्चों में पैदा करें। जवाहरात उर्दू होती थी। हम तो उर्दू भी पढ़ते थे क्योंकि उर्दू भी हमारी भाषा रही है। उसमें पढ़ते थे, "सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा" "पर्वत सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, ये संतरी हमारा ये पासबां हमारा" "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा।" ये शायरी हमने बचपन में पढ़ी थी। "कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।" मेरा मतलब है कि शिक्षा पद्धति में ऐसी भावनायें लानी चाहिए। आंधी और तांगे की कहानी

पढ़ते थे कि एक डोरे को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब उसकी आंटी बना दी जाती है तो वह नहीं टूटती है। यह किस्सा अपासी मेल के लिए बताया जाता था। बुहारी के तीले से ढेला नहीं उठाया जा सकता लेकिन उसे बांधकर उठा सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी बातों की शिक्षा दी जाती थी। एकता, दृढ़ता और समाज सेवा की दी जाती थी। मेरा सुझाव है कि शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। माननीय, हमें इस विधेयक को पास करने से पहले हमारी शिक्षा नीति को चेंज करना चाहिए और शिक्षा नीति के अंतर्गत देशभक्ति और समाजसेवा की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।

माननीय, साथ ही हमें हमारे देश पर होने वाले अराजनीतिक और आर्थिक हमलों को भी रोकना होगा जोकि इस कोशिश में लगी हुई हैं कि हमारी संस्कृति को कैसे मिटाया जाए। आज कालेजों और यूनिवर्सिटीज में हमारे जवान लड़के-लड़कियां जिस तरह से जहरीली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बहुत हानिकारक है। इस पर सरकार को गंभीरता से गौर करना चाहिए। मेरे पास एक खत्री शाम का लड़का आया था। वह 22 वर्ष का था। उसका जीवन नशीले पदार्थों के सेवन से खराब हो गया था। मैंने तो उसे देखकर ही कहा कि तुम ऐसी गलती तो नहीं कर बैठे? उसने कहा कि ये गलती तो हो गयी है। मैंने कहा कि इलाज तो मैं कर दूंगा लेकिन तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। अगर यह नशीली चीजों का सेवन इस तरह से बढ़ जाएगा तो हमारी भावी पीढ़ी का क्या भविष्य होगा। यह बहुत सावधानी से हमारी सरकार को विचार करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के संबंध में इतना और कहना चाहूंगा कि सरकार बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। आजकल जिस तरह के शिक्षा के व्यापारिक केन्द्र खुल गए हैं, उसमें अमीर-गरीब का फर्क तो है ही शिक्षा पद्धति का भी विभेद है। इसलिए सरकार को लाजिमी तौर से प्रायमरी एजूकेशन को सबसे पहले अपने हाथ में ले लेना चाहिए। साथ ही मैं इस बात को भी मानता हूं कि बच्चों की मानसिक प्रवृत्ति का अध्ययन रखने वाले टीचर्स को बच्चों की देख रेख और रख-रखाव के लिए नियुक्त करना चाहिए। माननीय, बच्चों को पढ़ाने में स्त्रियों का सहयोग मूल्यवान होता है क्योंकि स्त्री स्वभाव से ही उदार होती है। इसलिए बच्चों को पढ़ाने में महिलाओं को लगाया जाए। वे मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों की प्रवृत्ति का अध्ययन करें कि बच्चा किस प्रवृत्ति का है, उसे कौनसी शिक्षा देने की जरूरत है? अगर वह तकनीकी प्रवृत्ति का है तो उसे तकनीकी शिक्षा दी जाय, अगर वह व्यापारिक प्रवृत्ति का है तो उसे व्यापारिक ट्रेनिंग दी जाए। तो बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति के अनुरूप ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। उससे उसका भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। हमारे राष्ट्र को बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा कर के ही मजबूत बनाया जा सकता है वरन् हर तरह का खतरा देश के ऊपर है। इस बात पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि पार्टियों के विभेद भी इतने नहीं जाने चाहिए कि राष्ट्रीय समस्याओं को भी हम राजनैतिक दृष्टिकोण से आंकने लगें। अगर अच्छी बातें हों, तो उसमें विपक्ष को सहयोग देना ही चाहिए और सरकार को भी विपक्ष की अच्छी बातों को या जो उनके अच्छे सुझाव हों, उन्हें मान लेना चाहिए। उसके लिए राजनीतिक दूरी और इतनी कटुता नहीं लानी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा और जो करीब-करीब मुझे यहां पसंद नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में 20 बरस रहा हूं। वहां बिना कोरम के सदन कभी चलता ही नहीं, लेकिन यहां ऐसी प्रथा है कि कोरम की जरूरत ही नहीं है। पांच आदमी बैठे रहो, सदन चलता रहेगा। तो यह आवश्यक है कि हम भी कुछ ऐसी मान्यतायें या परम्परायें डालें। दूसरे, हमारे यहां पढ़े

4.00 P.M.

[श्री राम चन्द्र विकल]

हुए भाषण, सारा भाषण लिखकर के ले आते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं और दो-दो घंटे उसको पढ़ रहते हैं। यह परम्परा वहां नहीं थी। कोई उद्धरण देना हो, तो आप ले आयें। यह परम्परा मुझे कम से कम... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव : अपना पढ़ें तो भी ठीक है, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हैं। ... (व्यवधान)

श्री राम चन्द्र विकल : मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि यह सर्वोच्च सदन है। इसकी भी कुछ मर्यादा-मान्यता होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ जो हमारे पक्ष-विपक्ष के शोर शराबे के कारण कीमती समय निकल जाता है उससे भी मैं क्षुब्ध होता हूं। ऐसी मान्यतायें हमारे सदन में पड़नी चाहिए तभी हम बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दे सकते हैं। हमारा करेक्टर कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी परम्परायें कैसी हैं, हमारी मान्यतायें कैसी हैं सदन की और डेमोक्रेसी की, तब तो बच्चे प्रभावी होंगे। हम बच्चों को और मां-बाप को तो शिक्षा देते रहें और हम उलट हों तो यह तो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात संक्षेप में कहना चाहता हूं कि आज बच्चों पर जो शिक्षा का बोझ है, मैं विचार बिन्दु रोजाना सुनता हूं, किसी महापुरुष की वाणी होती है। उसमें एक रोज मैं सुन रहा था एक महापुरुष की वाणी कि बच्चों पर आज जो किताबों का बोझ है यह होना ही नहीं चाहिए। तीन-तीन साल के बच्चे, ड्रेस बना दी जाती है और बच्चे, किताब और बोझ यह उन्होंने कहा कि बच्चे को सारी दुनियां में घुमाकर दिखा दो तब उसका ज्ञान ज्यादा बढ़ता है बजाय किताबों के। जो हमारे पुराने महापुरुष हुए हैं चाहे विवेकानन्द हों, दयानन्द हों, गुरू नानक हों, कबीर हों, ये सारे महापुरुष कोई बहुत बड़ी डिग्री थोड़े लिए हुए थे। तो अगर बच्चे को देश को दिखाया जाए, पहाड़ों को दिखाया जाए, समुद्र को दिखाएं, वनों को दिखायें तो उससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है बजाय किताबों का भारी बोझ लाद देने से। उसका स्वास्थ्य न शारीरिक, न बौद्धिक ज्ञान होता है और इस तरह से कमजोर ही कमजोर होता चला जा रहा है। विभिन्न बातें हैं इस विधेयक पर बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और न मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों का समय लूं।

यह एक व्यापक विधेयक है जो पचौरी जी ने रखा, इसका मैं समर्थन करता हूं। और जो कुछ छोटे-मोटे मैंने सुझाव दिए हैं वे समाज को, सरकार को, व्यक्ति को और सभी को अपनी-अपनी जगह जिम्मेदारी लेनी चाहिए तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री ईश दत्त यादव : उपसभाध्यक्ष जी, श्री सुरेश पचौरी जी ने इस सदन में 25-11-88 को चाइल्ड वेल्फेयर बोर्ड के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इसको न तो विवाद का विषय बनाए और न ही प्रतिष्ठा का, बल्कि यह विधेयक जो देशहित में है, देश के बच्चों के हित में है, इस सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए।

महोदय, डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने बड़ा लम्बा भाषण दिया। कोई बाध्यता नहीं होती है जो इस तरह का गैर सरकारी बिल होता है उसपर। ठीक है, पूरे देश का चित्र उन्होंने सामने रखा और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां भी उन्होंने उद्धृत कीं :--

श्वानों को मिलता दूध-भात, भूखे बालक
चिल्लाते हैं
मां की छाती से चिपक-चिपक,
जाड़े की रात बिताते हैं

महोदय, अमर इस देश की यही स्थिति है, जो सही भी है, जिसको गुप्त जी ने सही तरीके से चित्रित किया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सन् 1947 में तो आजादी मिली थी 15

अगस्त को, आज इतने लम्बे अरसे तक भी अगर देश की यही स्थिति है और दो तरह की व्यवस्था है-एक तो गरीब की, गांव में रहने वाले की, झोंपड़ी में रहने वाले की दूसरे लोग वे हैं जो शीत नियंत्रित, एयर कंडीशंड मकानों में रहते हैं इस व्यवस्था को आपको समाप्त करना पड़ेगा।

महोदय, आज का बालक कल का भविष्य होगा, इस देश का कर्णधार होगा, देश के भाग्य का निर्माता होगा। लेकिन इस सरकार की व्यवस्था में उसका मन, मस्तिष्क, उसकी बुद्धि, उसके विचार सब कुंठित कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं ? इसलिए कर दिए जाते है कि देश गरीब है। आज 37 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जिन्दगी बिता रहे हैं और ऐसे लोगों के लगभग साढ़े 4 करोड़ जो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 15 साल से कम होगी उन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ज्यों ही वह बड़ा हुआ, ज्यों ही वह होश संभालने लायक हुआ, कुछ हाथ से काम करने लायक हुआ उसे मजबूरी में कहीं न कहीं नौकरी करनी पड़ती है। किसी होटल में या किसी बड़े परिवार में जाकर उनके बच्चों के लालन-पालन या उनको बहलाने की जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है। इसलिए उनका विकास नहीं हो सकता। सरकार ने 1974 में नेशनल चाइल्ड पालिसी जरूर अडाप्ट की और सन 1946 में चाइल्ड लेबर ऐक्ट पास किया और समाज कल्याण की मंत्री महोदया बैठी हैं, वे आंगनबाड़ी और बालाहार की प्रशंसा करेंगी, लेकिन मैं व्यावहारिक अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। सरकहार की सारी योजनाएं फेल हो गईं। बालाहार या पौष्टिक आहार जो विद्यालयों में वितरण के लिए भेजा जाता है वह सब का सब जो कर्मचारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, वे सब लोग उसे बेच देते हैं। आंगनबाड़ी भी इसी तरह से है। सरकार को चाहिए कि अगर उसने इस तरह का कानून बनाया है, इस तरह की व्यवस्था की है तो इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

मान्यवर, आज जो देश की गरीबी है, देश की जो दुर्व्यवस्था है गरीब और अमीर का जो अंतर है इसके कारण जो बच्चे गरीबों में पैदा होते हैं जिनका पालन-पोषण कम होता है उसकी ऊंचाई भी कम हो जाती है, उसकी शक्ति भी कम होती है, उसका मानसिक विकास भी कम होती है और उसका उम्र भी कम होती है, वह जल्दी मर जाता है।

श्रीमन्, अभी लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1976 का 31 जुलाई, 1986 को परिवार कल्याण मंत्री श्री कृष्ण कुमार जी ने जो उत्तर दिया था उसके अनुसार 4 वर्ष तक मरने वाले बच्चों का प्रतिशत इस देश में औसत 37 प्रतिशत है। लेकिन जो आंकड़े उन्होंने दिए, वह हर प्रदेश के आंकड़े अलग अलग दिए। इसमें सबसे ज्यादा संख्या मरने वाले बच्चों की उत्तर प्रदेश में है। वहां पर 52.3 परसेंट है। दूसरे नम्बर पर मध्य प्रदेश है वहां पर 48 परसेंट है। राजस्थान में 46.5 परसेंट है। बिहार में 38.6 परसेंट है। उड़ीसा में 42.7 परसेंट है, पश्चिमी बंगाल में 37.5 परसेंट है। मैं पूरा इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। सबसे कम मरने वालों का प्रतिशत केरल में है। वहां 11.8 परसेंट है। इसके बाद हरियाणा का आता है 24.8 परसेंट। जो आंकड़ मंत्री महोदय ने लोक सभा में प्रस्तुत किये इसका कमोबेश गरीबी से सम्बन्ध मालूम देता है। कुपोषण से इसका सम्बन्ध मालूम देता है। गरीब घर की महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उसको समुचित आहार नहीं मिल पाता। जब समुचित आहार नहीं मिल पाता तो उनके गर्भ से उत्पन्न जो बच्चा होता है वह भी कमजोर होता है। कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। कुछ साल के बाद या दो साल के बाद मर जाते हैं। और कुछ 4 या 5 साल के बाद मर जाते हैं। इसका

[श्री राम चन्द्र विकल]

एक ही मुख्य कारण है गरीबी । बच्चा गर्भ में रहते हुए या बच्चा जनने के समय मां की मृत्यु का कारण गरीबी के साथ-साथ उपचार की कमी, दवा की कमी भी है । इसकी पूरी व्यवस्था नहीं है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रयास सरकार की ओर से कुछ किये गये हैं । जच्चा-बच्चा केन्द्र गांव में खोले गये हैं, दाइयां भी रखी गयी हैं गांव में लेकिन वहां सही व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती । मैं चाहूंगा कि जो व्यवस्था है उसको थोड़ा कड़ाई से पालन करायें । उस पर निगरानी रखें । आपको अनुभव होगा गांव में जच्चा-बच्चा केन्द्र तो बना दिये गये हैं, दाई भी रखी की व्यवस्था की गयी है, नियुक्ति भी कर दी गयी है मगर महीनों तक उसका पता नहीं चलता कि कहां कहां चली गयी । अगर है भी तो सरकार ने जो उनके लिए वेतन निर्धारित किया है वह उसको नहीं मिलता । जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा तब तक वह सेवा कार्य कैसे कर सकती है । इसीलिए सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी । जो अव्यवस्था हो गयी है, सरकार के कानूनों के रहते हुए जो सुविधाएं सरकार मुहैय्या कराना चाहती है, उपलब्ध कराना चाहती है वे सुविधाएं उनको मिल नहीं पातीं, गांव में रहने वाले लोगों को ये सुविधायें मिल नहीं पातीं । इस सम्बन्ध में शिक्षा की बात भी ले लें । श्री पचौरी ने अपने विधेयक में सही कहा है कि शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । इस देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है । दोहरी शिक्षा व्यवस्था इस देश के लिए कलंक की बात है । दो तरह की व्यवस्था है। श्री विकल ने भी संकेत किया कि जो प्राइमरी स्कूल हैं गांव के वहां बच्चों के बैठने के लिए टाट की भी व्यवस्था नहीं है। और जो अध्यापक वहां पढ़ाते हैं वे बच्चों को आर्डर करते हैं कि घर से टाट बैठने के लिए लेकर आना । लेकिन जो कांवेन्ट और दूसरे स्कूल हैं, सब एयर कंडीशन्ड हैं, सारी आधुनिक सुख सुविधायें उनके अन्दर हैं । जो टाट के ऊपर बैठकर पढ़ता है, बोरे के ऊपर बैठकर पढ़ता है, बड़ा होने के बाद उसकी किस्मत में बोरा ही ढोना होता है । लेकिन जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, एयर कंडीशन्ड कमरों में पढ़ते हैं उनकी जिन्दगी एयर कंडीशन्ड कमरों में ही बैठकर बीतती है । इस तरह से दोहरी शिक्षा व्यवस्था इस देश के लिए कलंक है, घातक है । इसलिए मैं चाहता हूं कि एक शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के अन्दर लागू होनी चाहिए । ये सारे जो बड़े स्कूल हैं इनको तोड़ देना चाहिए या सबको अपलिफ्ट कर देना चाहिए । सब का एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए । यह सरकार की जिम्मेदारी होती है और 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए । भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में भी इसकी व्यवस्था की गई है--

"The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years."

इसमें भी संविधान की उपेक्षा की गई है, सरकार व्यवस्था नहीं कर सकी है कि 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त हो। मैं तो चाहता हूं और देश के आम लोगों की भी यही राय होगी कि 14 साल तक के बच्चों की न केवल फीस माफ रहे, बल्कि उनका खाना, उनका कपड़ा और उनकी पुस्तकें और अगर वे छात्रावास में रहने वाले हैं तो छात्रावास का सारा का सारा व्यय भी निःशुल्क करने की व्यवस्था होनी चाहिए । तभी हमारा देश उन्नति कर सकेगा ।

श्री पचौरी जी ने कहा है कि अगर इस तरह का बाल कल्याण बोर्ड बनाया जाय तो इसमें तीन करोड़ के करीब व्यय हो सकता है । मैं इस आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं और न ही इस बारे में मेरी सही जानकारी हो सकती है । लेकिन मेरा सुझाव जरूर है कि निश्चित रूप से हर जिले के मुख्यालय में बाल कल्याण बोर्ड होना चाहिए और इसका विस्तार प्रखंड तक और इसकी इकाई गांव तक होनी

चाहिए । ये इकाइयां गरीब लोगों की सूची बनायें ताकि उनके बच्चों का समुचित लालन-पालन हो सके, उनकी शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क हो सके, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो सके, उनके भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था हो सके और उनके आगे बढ़ने का पूरा पूरा अवसर दिया जाय। इस देश के अन्दर दोहरी व्यवस्था चल रही है। पूंजीपतियों का और बड़े लोगों का अलग-थलग तौर तरीका है। उनका रहन-सहन भिन्न है, शिक्षा चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था है। दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जो झोंपड़ों में रहने वाले लोग हैं जिनका जीवन स्तर दूसरा है। आज गरीबी के कारण, कुपोषण के कारण, आहार न मिलने के कारण चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न मिलने के कारण बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। अपंग हो जाते हैं, पोलियो के शिकार हो जाते हैं और अगर किसी तरह से बच भी गये तो शारीरिक, मानसिक और सभी दृष्टि से कमजोर होते हैं और मजबूर होते हैं कहीं न कहीं नौकरी करने के लिये गुलामी के लिये। मान्यवर, मैं इस पर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि सरकार बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने की ओर ध्यान दे। 14 वर्ष की आयु तक तो उनकी शिक्षा निःशुल्क की जाय और जब वे काम के योग्य हो जायं, 18 साल की उम्र पार कर लें तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह उन्हें काम दे, उनको रोजी दे, उनको नौकरी दे और कोई न कोई उनकी जीवन यापन की व्यवस्था करे। यह सरकार का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और कर्तव्य है। मैं तो चाहूंगा मान्यवर कि संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ काम का भी अधिकार हो और इसको उसमें जोड़ने के लिये सरकार संविधान में संशोधन करे।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं श्री सुरेश पचौरी जी का जो यह विधेयक है इसका समर्थन करता हूं और आपके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र और जैसा कि पंडित रत्नाकर पाण्डेय जी ने कहा है, पंडित पुत्र सुरेश पचौरी बाल विकास के बारे में यह जो विधेयक लाये हैं उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। एक पंडित ने दूसरे पंडित की तारीफ की है उसमें कोई अनुचित नहीं है। मगर मैं एक निर्धन पुत्र के नाते इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों

[उपसभाध्यक्ष (श्री भीरजी इंजीनियर) पीठासीन हुए]

शिक्षा, आरोग्य और अन्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं और उनको जो दुख और वेदनायें सहनी पड़ती हैं, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस बिल का अध्ययन किया तो पाया कि इसके जो हाईलैंट फीचर्स हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाइल्ड वैलफेयर बोर्ड के बारे में जिसने सुझाव है कि:

"The appropriate Government may, by notification in the official Gazette, constitute for every district specified in the notification one or more Child Welfare Boards for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Boards under this Act."

यह दिया है। इसके बाद चाइल्ड वैलफेयर बोर्ड में उन्होंने पांच लोगों का सुझाव दिया है जिनमें से एक महिला होनी चाहिये, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं तो कहता हूं कि बच्चों का लालन-पालन ज्यादातर महिलायें ही करती हैं। मुझे खुशी होती अगर चार महिलायें और एक पुरुष इसमें किया होता। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। बच्चे का दर्द मां जितना समझती है उतना पिता नहीं समझता है क्योंकि मां का उनके साथ शरीर और हृदय का रिश्ता होता है। इसलिये मैं यह सुझाव देता हूं अपने मित्र को कि जब वे अपना उत्तर दें तो उसमें जरूर यह सुझाव दें कि पांच सदस्यों में से कम से कम तीन महिलायें बोर्ड की

[श्री त्रिठ्ठलराव माधवराव जाधव]

सदस्य होनी चाहियें । इसके साथ की बोर्ड के फंक्शनिंग का उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है । उससे मुझे बड़ी खुशी है । बच्चों के आरोग्य के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में उन्होंने सुझाव दिया है । उसके बाद उन्होंने फ्री एजूकेशन इनक्लूडिंग टेक्नीकल एजूकेशन फार चाइल्ड यह भी दिया है ।

It has to provide free books, note-books, stationery, uniform, transportation and hostel facilities to every child and nutritious meals.

ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं । मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं । मेरे मित्र ने कहा कि यह सारा राज कांग्रेस वालों का है, पंडित नेहरू, इन्दिरा जी और राजीव गांधी जी का है, यह करने में वे नाकाम रहे हैं । उनके कहने का मकसद यह है । इस देश में हजारों साल से शोषण होता रहा है और जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि 70 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे आजादी के वक्त थीं और आज यह 37 प्रतिशत है । यह उनके हिसाब से है और हमारे हिसाब से ज्यादा कम हो सकती है । इस देश के 70-80 करोड़ लोगों में 10-20 करोड़ लोग जब गरीबी की रेखा के ऊपर आते हैं तो सरकार उनके लिए कुछ प्रयास करती है कुछ कार्यक्रम बनाती है कुछ योजनायें बनाती है इसकी सराहना करनी चाहिये । इसके बावजूद भी बच्चों के बारे में जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उसमें कमी रह गई है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । जिस देश में उसकी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, विद्यार्थी है अगर उनका अच्छी तरह से पालन-पोषण नहीं होता तो वह देश कभी मजबूत नहीं बन सकता उसकी पीढ़ी कभी मजबूत नहीं बन सकती और देश के विकास में बाधा हो सकती है । इस लिहाज से इस उद्देश्य से मेरे मित्र पचोरी ने यह बिल लाया है और प्रयास किया है इस देश के बच्चों के विकास के लिए उनको आगे बढ़ने का अवसर दिलाने के लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जिससे वे मजबूत बन करके दुनिया के सामने आयें । किसी भी देश की मजबूती इस पर निर्भर होती है कि उस देश की जनता कैसी हैं। किसी भी देश की मजबूती का अच्छा मूल्यांकन इस पर निर्भर करता है कि उसका मनुष्य-बल, ह्यूमेन रिसोर्सेज कैसे हैं । इससे पता चल सकता है कि देश छोटा है या बड़ा है या निर्बल है या बलशाली है । इस तरह से हम किसी भी देश का मूल्यांकन कर सकते हैं यह सबसे बड़ी बात है । हमारी सरकार ने कोशिश इसके बारे में अवश्य की है । अभी बोंडेड चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया है उसके तहत इसे खत्म कर दिया गया है। बोंडेड चाइल्ड लेबर को कानून के द्वारा ही समाप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारे देश की जनता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को समझती नहीं, उनके बारे में सोचती नहीं है, उन पर अमल नहीं करती है तब तक कानून का कोई मतलब नहीं होता है । मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जहां भी बोंडेड लेबर बंधुआ मजदूर है उनको तुरन्त मुक्त किया जाए । यह हमारा पहला कार्यक्रम होना चाहिए । यह कार्य हम कर तो रहें मगर इसको और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इसी उद्देश्य से मेरे मित्र ने प्रत्येक जिले में बाल विकास बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सामने रखा है । यह बिल्कुल सच है कि स्टेट में चाइल्ड वेल्फेयर बोर्ड होता है, वूमेन वेल्फयर बोर्ड होता है मगर उसकी शाखा डिस्ट्रिक्ट तक नहीं होती गांव तक उसकी शाखा होनी चाहिये चाहे वालेंटरी आर्गेनाइजेशन हो चाहे सोशल आर्गेनाइजेशन हो या ग्राम पंचायत के स्तर पर हो मगर यह बहुत ही अहम और जरूरी बात है इस पर हमें ध्यान देना चाहिये । यह स्टेट से ले कर, प्रदेश से लेकर, जिला स्तर तक ले जाने का सुझाव दिया है । हमारे पास कोई जादू तो है नहीं कि छू मन्तर बोलने के बाद सारी बातें हो गई । यह प्रस्ताव है यदि हम जिले तक ले गये तो फिर मांग होगी ब्लाक स्तर पर ले जायें और उसके बाद ग्राम स्तर तक ले जायें । जैसे कि हमारी सरकार ने प्रयास किया कि पंचायती राज के हिसाब से अभी ग्राम पंचायतों तक नियोजन का धन जा रहा है । यह मैं नहीं कहता कि यह शत प्रतिशत यूज हो जाएगा मगर

पहले जो पांच रुपये 100 रुपए में से नीचे पहुंचते थे अब 100 रुपए में से 50 रुपये पहुंचने की संभावना जरूर हो चुकी है। यह बीच की दलाली खत्म करने का काम सिर्फ सत्ताधारी दल का ही नहीं है यह सारे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। यह सब लोगों को मिल कर कोशिश करनी चाहिये। राजनीति की बात इसमें नहीं आनी चाहिये। यह जो प्रत्येक जिले में बाल विकास मण्डल का प्रस्ताव रखा है मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री श्रीमती मारग्रेट आल्वा जी बैठी हैं वह बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि बालिकों की क्या समस्याएं हैं। वे बहुत बुद्धिमान भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाये इस सरकार के सामने जिससे हमारे देश के बालकों को जो असुविधाएं हो रही हैं, अनेकों क्षेत्रों में उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उसके बाद महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात तो मैंने कह दी है और सतत आहार सरकार की तरफ से दिया जाये, यह भी दिया है। मैं जरूर सराहना करता हूं तमिलनाडु सरकार की कि उन्होंने सब बच्चों को आहार देने की योजना शुरू की है। मैं नहीं कहता . . .

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : यह तो केयर प्रोग्राम के नीचे है जो हम खुद उनको दिलवाते हैं। तामिलनाडु की गवर्नमेंट का नहीं है। It is arranged through the Central Government.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : मगर एक बात तो जरूर है कि जो बच्चा के.जी. में जाना शुरू करता है, प्रामरी स्कूल में जाता है, तो प्राइमरी स्कूल से लेकर मैट्रिक तक दसवीं तक उसको ऐसा आहार मिलना चाहिये, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिये जिससे उसका शारीरिक क्षमता बढ़े, शारीरिक ग्रोथ हो और उसके लिए साइंटिफिकली जो कैलकुलेटिड केलोरीज हैं उतना केलोरीज बच्चों के आहार से उन्हें जरूर मिलना चाहिये और यह प्रबंध आप कर सकें तो हम समझते हैं कि. . .

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): The nutrition scheme was actually started by the Justice Party in Madras.

SHRIMATI MARGARET ALVA: The food programme is funded under the CARE which is a food programme which we enter into negotiations for and get.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि प्राइमरी क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक जो भी बच्चे स्कूल में जाते हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के उनकी जितनी केलोरीज और न्यूट्रिशियस फूड की रिक्वायरमैंट होनी है फिजिकल ग्रोथ के लिए वह दी जाये, उनको अच्छा न्यूट्रिशियल फूड दिया जाये। उसके साथ साथ फ्री एजुकेशन और हैल्थ है। यह तो हमारे संविधान में भी लिखा है। ये हमारी बुनियादी जरूरी बातें हैं कि हर आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिये, हर आदमी को शिक्षा लेने का हक है। इस देश में जो भी पैदा होता है उसको अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिये, उसको खाने को मिलना चाहिये और कपड़ा मिलना चाहिये। रोटी, कपड़ा, मकान और उसके बाद शिक्षा और आरोग्य, पंचशील की तरह से पांच मनुष्य के विकास के लिए तत्व हैं और ये सारी बुनियादी बातें हमने अगर सरकार की तरफ से और नियोजन के माध्यम से देने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की प्रगति में एक नया ठप्पा, एक नया स्टेज आ जायेगी और हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है।

दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने लाना चाहता हूं जैसे कुछ दिन पहले हमारे सदन के और देश के बहुत विद्वानों सदस्य श्री आर. के. नारायण और मेरे मित्र श्री रामचन्द्र विकल जी ने कहा था कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो इन बच्चों का जो बस्ता होता है उसमें इतना बोझा होता है कि वह बड़े आदमी से भी नहीं उठता। मैं रोज देखता हूं, मेरी 9 साल

[श्री बिठ्ठलराव माधवराव जाधव]

की लड़की जो स्कूल में जाती है उसका बस्ता इतना बड़ा होता है कि मैं उठाने की कोशिश करूं तो भी नहीं उठ पाता और वह बेचारी पीठ पर लेती है और तीन-चार मंजिल चढ़ते-चढ़ते जाती है और जब जाती है तो उसकी सांस घुटने लगती है ।

SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR (Maharashtra): This is a valid point.

श्री बिठ्ठलराव माधवराव जाधव : मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों है । इन पांच या सात पीरियड में बच्चों का क्या ये सारी किताबें या सारे नोट बुक्स लिखने पड़ते हैं । मैं जब अपनी लड़की से पूछता हूं तो कहती है कि पापा मैं क्या करूं, वे तो कहते हैं कि नहीं लायेंगे तो स्कूल में नहीं आने देंगे । मुझे पता नहीं लगता शिक्षा नीति का यह कौन सा स्वांग है जितने विषय हैं और जितने विषयों की जरूरी किताबें हैं वे ही लेनी चाहिए . . .

SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR. Would the Minister carry the beg?

श्री बिठ्ठलराव माधवराव जाधव : यह तो सच है, मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि उसके बारे में बयान दें । लेकिन यह जो विद्वान सदस्य आर०के० नारायण ने कहा था इस पर उन्होंने बहुत बारीकी से स्टडी की थी, इसका अभ्यास किया था । हम रोज देखते हैं मगर हमें पता नहीं चलता है । बहुत बड़े विद्वान और लेखक होने के नाते उन्होंने छोटी-छोटी बातों का भी अध्ययन किया । अतः मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इस बारे में कुछ बयान दें और सारे देश के बच्चों को बिना वजह, बिना मतलब जो बहुत बड़ा दफ्तर सिर पर ले जाना पड़ता है, जिसमें न लिखते हैं, न पढ़ते हैं इसको खत्म किया जाये । इसके बारे में भी कोई कानून बनाना मैं जरूरी समझता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मैं क्यों कहता हूं, कि जब मुझे यू०एस०ए० जाने का मौका मिला था, सरकार की तरफ से नहीं, मैं खुद गया था, बड़ी लड़की को वहां ले गया था, जो पाईलट बन रही है, मैं उसको अमेरिका ले गया था तो उस वक्त मैंने देखा कि अगर किसी को इलेक्ट्रानिक की स्टडी करनी है तो बचपन से ही उसको इलेक्ट्रानिक पढ़ाते हैं । यह सारे मैथैमेटिक्स के फार्मूले, यह क्या बोलते हैं मेंसुरेशन है, जोमेट्री है, एलजब्रा है, यह इतनी सारी बातें बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसका आगे लाईफ में कोई संबंध नहीं होता है । यह सारी बातें क्यों पढ़ाते हैं ?

अगर कोई एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है, तो वहां सारा एग्रीकल्चर ही पढ़ाते है बचपन से और एग्रीकल्चर के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या कम्प्यूटर साइन्स के लिए, इलेक्ट्रानिक्स के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, वह पढ़ाते हैं ।

तो हमारी शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए । वह अंग्रेजों की जो बनाई हुई शिक्षा नीति है 1947 के पहले, उसमें सुधार करते-करते हमने क्या किया है कि दस किलो का बोझा हमारे बच्चों पर लाद कर उसको स्कूल में भेज रहे हैं । वह गलत बात है । कुछ प्रैक्टिकल उसके बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए । यह बच्चे देश की राष्ट्र की संपत्ति हैं, हमारे राष्ट्र की संपत्ति, पहली संपत्ति मानव विकास की सपत्ति है और मानव विकास की संपत्ति की शुरूआत बच्चों से, बालकों से होती है और उनको अगर अच्छी तरह से हम पढ़ायें नहीं, तो हमारे देश की आजादी या और कोई काम सुरक्षित नहीं रह सकता ।

मैं आपके माध्यम से हमारे विद्वान मंत्री जी को, जो हमारी सोशल वैलफेयर की भी मिनिस्टर बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में बहुत गहरा सोचा जाए और उसमें कोई ऐसे कदम उठाये जायें कि यह सारे जो प्रोसीजर्ज हैं, कंप्लिकेटेड बनाये हैं, बहुत मुश्किल बनाये हैं, बिना मतलब के मुश्किल बनाये हैं, उनको आसान बनाया जाए ।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वह यह है कि हमारी

शिक्षा नीति में क्या है कि फर्स्ट पीरियड से लेकर सेवंथ पीरियड तक केवल पढ़ाते ही पढ़ाते जाते हैं, मगर शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा साईड बाई साईड चलनी चाहिए-

Physical education should be made compulsory right from primary education to college education.

जब हम बच्चों का सोचते हैं, पहले बच्चों के शरीर का सोचना चाहिए--हैल्थी बाडी और हैल्थी माइंड--अगर बाडी हैल्थी है, तो माइंड हैल्थी होता है, अगर बाडी हैल्थी नहीं है, तो माइंड हैल्थी नहीं होता है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए, जैसा कि हमारे टी०वी० में बहुत अच्छे प्रयास किये जा रहे हैं, योग के प्रयोग दिखाते हैं और काफी व्यायाम के अलग-अलग तरीके दिखा रहे हैं। वह बहुत ही सराहनीय बात है, मगर उसके साथ हमारी शिक्षा नीति में फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए।

उसके साथ मैं एक और प्वाइंट बताना चाहता हूं कि अब जो हमारे देश में नई पीढ़ी आने वाली है, हमारे कितने कालेजज हैं--130 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और पांच-छह हजार से ज्यादा कालेजज हैं। हर साल पांच सौ से एक हजार कालेजज बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर हमारे देश को यदि मजबूत बनाना है, जैसा कि सोवियत यूनियन में है, अमरीका में है, एन०सी०सी० एजुकेशन और ए०सी०सी० एजुकेशन,

Military training should be made compulsory unless one is physically unfit.

हर स्टुडेंट, हर आने वाले नौजवान को, हर आने वाले बच्चों को हमारे देश की रक्षा के लिए उसको मिलिट्री शिक्षा या एन०सी०सी० या डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से उसको प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर कभी भी मुश्किल की बात आती है, तो फिर हमारा देश हमेशा होता है, जागता रहता है, लोग एमरजेंसी कमीशन में जाते हैं। ऐसा तो इस दुनिया में नहीं कह सकते कि कोई युद्ध नहीं होगा। तो अगर आने वाली पीढ़ी को हमें मजबूत बनाना है, तो कालेज लेवल पर एन०सी०सी० एजुकेशन और मिलिट्री एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी।

उसके साथ-साथ मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हमारी सारी शिक्षा नीति में राष्ट्रीय भावना के विकास के बारे में बहुत कम महत्व दिया गया है, यह तो लिखा है कि भारत मेरा देश है, हम उसकी संतान हैं, यह सब सच है, मगर जो बाकी पार्ट होते हैं, जो उसके लेसंस होते हैं, उसमें बाकी कोई राष्ट्रीय विकास की बात नहीं होती। इधर से लोमड़ी आई और उधर से शेर आया, उधर से कुत्ता आया और कव्वा आया, ऐसी फिजूल बातें बच्चों को सिखाते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इससे कौनसा ज्ञान बढ़ता है। सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि हमारा देश क्या है, हमारे देश की क्या परंपरायें हैं, हमारे देश के इतिहास में कौन-कौन सी घटनायें घटी हैं, हमारे देश के इतिहास में भगवान प्रभु राम चन्द्र से लेकर कृष्ण, शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप, अकबर कितने-कितने महान व्यक्ति थे, बहादुर जफर थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई--कितने बड़े-बड़े लोग महात्मा गांधी, इन्दिरा गांधी तक कितनी बड़ी-बड़ी हस्तियां हो चुकी हैं। अगर उनकी कथायें पढ़ाये तो हमारी पीढ़ी जान जाएगी कि हमारा देश एक समृद्ध देश है, इसकी एक महान समृद्ध परंपरा है। यहां बहुत बड़ी विभूतियां हो चुकी हैं, इसलिए भारत महान है।

तो यह बातें हमें पढ़ानी चाहिए। यह जो फिजूल बातें हैं- हां, प्राणियों का रक्षण करना सिखाइये, मगर शेर ने बिल्ली पर झड़प मारी और बिल्ली ने शेर पर झड़प मारी, यह जो नानसेंस बातें हैं, वह सब खत्म कर दी जाए। यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। उप सभाध्यक्ष महोदया, मैं यह एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे पूरे विश्व में भारत एक ऐसा ही देश है कि जिसकी एक अपनी राष्ट्रभाषा होते हुए भी उसकी शिक्षा राष्ट्रभाषा में नहीं होती है। यह कोई भूषणास्पद बात हमारी है नहीं, यह बहुत ही कमजोरी है हमारी

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

और यह हमारा एक शेमफुल एक्ट है । हम सभी लोगों को इकट्ठे होकर बैठना चाहिए और इस भाषा के लफड़े को खत्म करना चाहिए । हमारी जो राष्ट्र-भाषा है उसी में हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आप रशिया में चले जाइये, वहां कोई अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, फ्रांस में चले जाइये कोई अंग्रेजी में नहीं बोलेगा मगर हम अपने बच्चों को कान्वेंट स्कूल में डालने में बड़ा भूषण समझते हैं । हम देखते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा कान्वन्ट स्कूल अच्छा है । ये बात हमें अपने दिमाग से निकालनी चाहिए । शिक्षा नीति में यह कंप्लसरी रखना चाहिये कि हमारी सारी एजुकेशन राष्ट्रभाषा में हो जाए और रिजनल लग्वेजेज को भी मेनटेन किया जाए खत्म न किया जाए मगर शिक्षा का जो माध्यम है वह जरूर राष्ट्रभाषा में होना चाहिए । हमें यह बुनियादी बात समझनी चाहिए और हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिए तथा शिक्षा भी हिन्दी में होनी चाहिए । मैं मराठी बोलने वाला होकर भी उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं । उप सभाध्यक्ष महोदय में एक प्रसिद्ध पंक्ति से अपना भाषण समाप्त करता हूं :

"हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के ।
जय हिन्द, जय भारती ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : श्रीमन्, श्री सुरेश पचौरी ने जो बाल कल्याण बोर्ड विधेयक, 1988 इस सदन में पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं । उन्होंने एक महत्वपूर्ण विधयक इस सदन में लाया है और देश के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए उसकी ओर सरकार का चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में हो, ध्यान आकर्षित किया है कि वह देश जो 1947 में आजाद हुआ उसके अंदर अभी तक यह समस्या बनी हुई है । खास करके देश के अन्दर जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो लाचारी है और जो दीनहीन है उसको अभी तक दूर नहीं किया गया है। इस विधेयक के जरिए वह चाहते हैं कि देश के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण बोर्ड का स्थापना हो । इस बाल कल्याण बोर्ड विधेयक के जरिए जिन बोर्डों की स्थापना होगी, जसके जरिए देश के कोने-कोने में हर राज्य में, हर प्रांत में, हर हिस्से में, यह बोर्ड के जरिए से बच्चों को तालीम, बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों को जो सहायता देनी चाहिए, जो यह काम नहीं हो रहा है, इन के गठन से उसको पूरा करने के लिए, इस विधेयक के जरिए से पचौरी साहब ने सरकार का ध्यान दिलाया है । मैं नहीं समझता कि सरकार उसके विरोध में है । सरकार भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते है, जितनी भी देश के अन्दर राज्य सरकारें हैं व भी चाहती हैं कि देश की तरक्की हो जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई जारी हुई और हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हमने जो महात्मा गांधी की रहनुमाई में लड़ाई लड़ी, क्यों, उस वक्त सारा हिन्दुस्तान एक जहालत में था, गरीबी में था, शोषण में था । जब इस शोषण को, गरीबी को, इस जहालत को मिटाने के लिए हिन्दुस्तान के लोगों ने महात्मा गांधी की रहनुमाई में यह स्वतंत्रता की लड़ाई आजादी की लड़ाई को और आखिर में हमने आजादी हासिल की । आजादी 1947 में हासिल की लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ । हमारे संविधान में इस समस्या को हल करने और समस्या को पूरा करने की दिशा में एक रास्ता बताया गया है लेकिन फिर भी सरकार असमर्थ रही । सरकार का जिस दृढ़ निश्चय से इस समस्या को हल करना चाहिए, कर नहीं सकी इसको तो मानना ही चाहिए । इसलिए कोशिश जरूर होनी चाहिए, मैं मानता हूं कोशिश है, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ । सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देश के अंदर जो अनाथ

बच्चे लोग हैं, मैं किसी सरकार, केन्द्र या, राज्य सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन यह परिस्थिति आज देश के अंदर है, एक बार मैं एक प्रांत के एक जिले में गया, मुझ कुछ समय मिला, मैंने कहा कि इस जिले में कोई होस्टल वगैरह है, जो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। बताया गया कि हां, है । मैंने कहा--जाकर देखेंगे । हम सुबह आठ बजे निकल गए करीब हो, जिले के केन्द्र में एक था । जब हम वहां गए तो सिर्फ आठ लड़के ही वहां थे । मैंने पूछा--इस संस्था में कितने लड़के हैं ? यह अनाथों के लिए था । उन्होंने कहा--साठ । मैंने कहा--बाकी किधर गए ? वह बोले-अपने रिश्तेदारों के यहां गए । मैंने कहा--यह अनाथों के रिश्तेदार कहां से आ गए । इसमें तो अनाथ लड़के रहते हैं और उनके पोषण के लिए सरकार इतना पैसा खर्च करती है, इतनी बिल्डिंग बनाई है, फिर यह लड़के कहां गए ? कुछ ऐसी ही बातें हुई । फिर मैंने कहा--इनके भोजन की क्या व्यवस्था है । उसने कहा--सुबह आठ बजे इनको नाश्ता दिया जाता है दोपहर में इनके भोजन का इंतजाम है, फिर रात को भोजन का इंतजाम है यानी एक नाश्ता और दो भोजन । मैंने बच्चों से पूछा कि नाश्ता हो गया, नौ बज गए थे। बोले कि अभी नहीं हुआ । मैंने पूछा--क्यों नहीं दिया ? उन्होंने कहा--आप लोग आ रहे थे, इसलिए देर हो गयी, नहीं दे सके । मैंने कहा--ठीक है, क्या नाश्ता बनाया है, दें ताकि हम भी देखें । तो दो मिट्टी के बर्तन थे, एक मिट्टी के बर्तन में चावल रात का या किसी वक्त का बनाया हुआ था, सुबह का बनाया हुआ नहीं था और एक बर्तन में थोड़ा सा, जिसे चाय कहते हैं, दिया गया, जो ताजा नहीं था, कल का बना हुआ था । बोले--यह नाश्ते के लिए है । मैंने कहा--यह आज का बना हुआ तो नहीं ? दो महिलाएं वहां जो पकाने का काम करती थीं शायद, और एक आदमी सुपरिंटेंडेंट जैसा था । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां कोई इंतजाम नहीं था, न खाने का और न सोने का क्योंकि जब हमने पूछा कि लड़कों के लिए बिस्तर वगैरह हैं तो पता चला कि पत्थरों पर सोते हैं उनके लिए बिस्तर नहीं हैं, पत्थरों पर सोते हैं । उनके खाने का इंतजाम भी नहीं है, उनको किसी किस्म की सहूलियत नहीं थी । उनके रजिस्टर में लिखा हुआ था--60 लड़के हैं, मगर 8 ही थे । ऐसी खराब हालत है वहां, कोई रह नहीं सकता । फिर तरक्की कैसे होगी ? तरक्की नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ओल्ड-एज होम्स हैं उनकी भी यही हालत है । करीब ही एक शहर के पास हम गए । एक महिला आई । कहने लगी--हम उसमें शरीक होना चाहते हैं । मैं तो हिचकिचाया कि मैं नहीं लिखूंगा । मगर दूसरे से लिखवाकर गई जरूर । जब महिला वहां गई, ओल्ड-एज होम देखा तो बोली की नहीं, इसमें मुझे शरीक नहीं होना । वह इतना गंदा था, इतना खराब था कि रहना मुश्किल। अब आप यह देखिए कि मिशनरीज की तरफ से जो केन्द्र चलाए जाते हैं, उसमें भी हम गए और देखा इतना नीट, इतना क्लीन और इतनी ईमानदारी से चलाए जाते हैं, । वह मिशनरीज जील से काम करते हैं । वह तो सरकार की तरफ से नहीं चलाए जाते, वह तो उन लोगों की तरफ से चलाए जाते हैं, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे, उसमें तो कोई आदमी रहना पसंद नहीं करता, रहने के काबिल नहीं है, वहां आदमी रह ही नहीं सकता, इतने खराब हैं। इनमें सरकार का पैसा फिजूल खर्च होता है । लेकिन जो मिशनरीज संस्थायें चलती हैं, वह इतने सुन्दर, इतने नीट हैं, इतने पाकसाफ हैं कि उसके अंदर तो न रहने वाला आदमी भी जाकर रहना पसंद करेगा ।

इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चों के जो स्कूल्स हैं या बूढ़ों के लिए जो होम्स हैं, उनका बराबर इंतजाम होना चाहिए । उसे देखना चाहिए कि वह ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? सरकार की योजना तो अच्छी है । बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके सुधार के लिए जो पैसा खर्च होता है

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

उसका ठीक इस्तेमाल नहीं होता । बच्चों की ठीक से तालीम नहीं होती, देखभाल नहीं होती । अगर ऐसा होगा तो ये जो हमारे तमाम प्लान हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वे सब बेकार हो जाएंगी । अगर उन पर सही तरीके से अमल नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएंगी । इसलिए पचौरी साहब ने यह जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन अगर ये कागज पर ही रह जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है । मेरा मतलब यह था कि सरकार देश को सुधारने और बच्चों के सुधार की तमाम चीजों को अपने हाथ में ले, लेकिन उनका ठीक ढंग से अमल हो रहा है या नहीं, यह देखने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है । चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उद्देश्य किसी भी का बुरा नहीं है । सभी चाहते हैं कि देश सुधरे, जो गरीब है उनकी हालत सुधरे, बच्चों की तालीम बराबर हो, गरीबी दूर हो, उनके स्वास्थ्य का इंतजाम हो लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों के जिम्मे ये काम किया गया है वह अपने काम को बराबर अंजाम नहीं दे रहे हैं । इसकी बड़ी जरूरत है ।

पचौरी साहब ने अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया है कि, "अविकसित देश होने के नाते भारत में अशिक्षित, बेरोजगार और गरीब लोग बहुत अधिक संख्या में हैं ।" अब देखिए हमने सन् 47 में आजादी हासिल की है लेकिन अभी भी ये अधिक संख्या में हैं । "इसके परिणामस्वरूप बालक-बालिकाएं की उन्नति और उचित देखभाल संभव नहीं हो पा रही है। बालक-बालिकाएं जो कि का भविष्य है, अवपोषित हैं और उन्हें इनकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है ।" मंत्री महोदय को मैं ये शब्द इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं क्योंकि इन पर ध्यान देने की जरूरत है । देश के भविष्य यानी बालक अवपोषित हैं और उन्हें उनकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है । इसके बारे में ध्यान दीजिए । "अमीर लोग अपने बच्चों के विकास के लिए धन खर्च कर सकते हैं जबकि अधिकांश गरीब लोग बच्चे के स्वाभाविक सामर्थ्य का उपयोग कर पाने में असमर्थ रहते हैं । इसके परिणामस्वरूप उचित पोषण और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के अभाव में बच्चे उपेक्षित रह जाते हैं और कई असाध्य रोगों का शिकार हो जाते हैं ।" तमाम चीजें इसमें बतायी हैं । तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । मुझे मालूम नहीं कि ये सोशल वैलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है या स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शाद बेग) : दोनों मंत्रालय बैठे हुए हैं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : यह खुशी की बात है कि दोनों मंत्री मौजूद हैं ।

SHRIMATI MARGARET ALVA: We have total co-operation.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इससे पता चलता है कि इस समस्या के प्रति वे गंभीर हैं और दोनों मंत्री महिलाएं हैं । हमारे समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा माना जाता है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महिलायें मातृ शक्ति हैं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इसीलिए कहा गया है कि "मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य, देवो भव, अतिथि देवो भव ।" तो मातृ को पहला स्थान दिया गया है । इसलिए दोनों ही महिलायें हैं, माताएं हैं ..(व्यवधान)

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : रेड्डी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह भी पण्डित हैं, सिर्फ पाँण्डेय जी ही नहीं है । ...(व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : हम तो यह दावा नहीं कर सकते कि हम पण्डित हैं या नहीं । ...(व्यवधान)

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : आपको जो संस्कृत का ज्ञान है उसको

देखकर महसूस होता है कि आप पण्डित हैं । ...(व्यवधान)

ठाकुर जगतपाल सिंह : रेड्डी साहब की आत्मा इधर है, शरीर उधर है। पुराने राजनीतिक हैं । ...(व्यवधान)

[उपसभापति पीठासीन हुई]

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आपका यह कहना उचित नहीं है । आत्मा सर्वत्र है । मेरी आत्मा भी इधर है, शरीर भी इधर है । आत्मा एक जगह, शरीर दूसरी जगह नहीं है । यह गलत बात है ।

तो मैं यह कह रहा था इस विधेयक के संबंध में कि बच्चों की देखभाल और देश के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण बोर्डों की स्थापना के संबंध में कह रहा था और खासकर के यह कह रहा था कि दोनों मंत्री महिलायें हैं, यहां है ... (व्यवधान)

उप सभापति : दोनों नहीं, तीन महिलायें हैं ।...(व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : और अब तो तीन महिलायें हैं । महिलाओं का स्थान हमारे समाज में बहुत बड़ा है .. (व्यवधान) ...

उप सभापति : दो महिलायें नीचे बैठी हैं और एक ऊपर बैठी है ... (व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इसलिए मैं कह रहा था कि महिलाओं का स्थान हमारे समाज में, देश में पहला है, पहला ही रहेगा । इसलिए मैंने संस्कृत का श्लोक बता दिया कि माता का स्थान सबसे आगे है समाज में और यह दोनों ही माताएं हैं देश के बच्चों की । जो विधेयक आज इस सदन में पेश हुआ है इसके संबंध में सभी व्यक्तियों ने, चाहे वे किसी पार्टी के, किसी दल के क्यों न हों, सभी ने इसका समर्थन किया है । सभी चाहते हैं कि देश में जो गरीबी है, जो बेकारी है, जो बीमारी है, यह दूर हो । यह दूर कैसे हो ? इसके लिए जो देश की भावी संतान है यानि जो इस देश के बच्चे हैं उनकी देखभाव जब तक ठीक ढंग से नहीं होगी, उनको ठीक ढंग से विद्या नहीं मिलेगी, उनके लिए ठीक ढंग से खाने-पीने का इंतजाम नहीं होगा, उनके लिए ठीक ढंग से कपड़े का इंतजाम नहीं होगा, रहने का इन्तजाम नहीं होगा, तब उनकी तरक्की नहीं होगी । हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वे किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों और कालेजों में पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने की शक्ति उनमें है और जब वे पढ़ लेते हैं, जब काबिल बन जाते हैं, जब विद्या समाप्त हो जाती है, तब वे बड़ी-बड़ी नौकरियों पर चले जाते हैं । लेकिन, हर आदमी को यह मौका नहीं मिलता है। जो गरीब आदमी हैं, जिसके पास खाने का कोई प्रबंध नहीं है, वह अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं सकता । इसलिए इसकी बहुत ही जरूरत है । इस विधेयक का यही मतलब है ताकि वे गरीब लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं, अभी कई साथियों ने बताया कि आज हजारों की तादाद में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों का शोषण किया जा रहा है । किसी होटल में जाइए, छोटे बच्चे बर्तन मांजने, कप धोने में लगे हुए है या कई जगह ऐसे बच्चे नजर आते हैं जहां भीख मांगने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है । कई गिरोह इस देश के अंदर हैं जो उनको भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं । ऐसे ही कई अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई इंतजाम नहीं है । जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया है कि सरकार कुछ कर रही है कि इसके बारे में कुछ इंतजाम करें लेकिन उसका अमल ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । तो ऐसे वर्गों के लिए, जो गरीब लोग हैं, असमर्थ हैं, जिनके यहां कोई दूसरा इंतजाम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने का, इसकी सारी जिम्मेदारी को सरकार को लेना चाहिए--वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो । इनके जिम्मे यह काम होना जरूरी है और जब तक सरकार इस तरफ अपना ध्यान नहीं देगी और वह भी इसको अमल में लाने के संबंध में

[श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी]

5 P.M.

हमारे कानून बनते हैं । हम कहते हैं कि यह होना चाहिए कानून भी बनते हैं । लेकिन जब अमल का समय आता है तो उन पर अमल नहीं होता । जिस के जिम्मे यह काम होता है जो ओहदेदार होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं या छोटे अधिकारी होते हैं जिनका मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जहां 60 की जगह 6 लड़के हो हैं, जब उनको बार-बार कहा गया है कि ठीक इंतजाम होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ए ही महीना हुआ है यहां आए हुए । यह जो नीति है जो अधिकारी उसको लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं वे जब तक तहे दिल से उसको लागू नहीं करेंगे और जब तक समाज की सेवा करने की भावना उनमें नहीं होगी, तब तक काम नहीं ठीक हो सकता है । इसलिए सरकार को चाहिए कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी जांच ठीक होनी चाहिए । वे उसको ठीक तरह से अंजाम देते हैं या नहीं, इसको देखना चाहिए । इस बिल में जो श्री सुरेश पचौरी जी ने रखा है, यह कहा गया है कि देश के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण बोर्ड बनाए जायें । मैं सरकार को इस विधेयक के जरिए से बताना चाहता हूं कि आप की सरकार इस संबंध में क्या कर रही है? क्या इस विधेयक की जरूरत है या नहीं, इस बारे में वह सोचे । अगर कोई काम हो रहा है तो किस ढंग से हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्या इस विधेयक को जरूरत है ? तो माननीय मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीया, इस विधेयक पर जो बहस हुई है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि बाल कल्याण विकास के लिए इनका जिक्र बहुत जरूरी है । इसलिए इस पर मैं एक शेर कहना चाहती हूं --

इस दौरे तरक्के के अंदाज निराले हैं,
जहन में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं ।

इसके जहन अंधकारमय हो गए हैं इनको भारतवर्ष जो कि रोशनी की तरह हर मुल्क के सामने चमक रहा है, इनको रोशनी दिखाई नहीं देती क्योंकि इनके जहन में गर्त जमी है ।

उपसभापति : अब हम अगला आइटम लेते हैं, मेरे पास 5 नाम हैं, मैम्बरों से गुजारिश है कि वह पांच मिनट लें ताकि मंत्री जी को बोलने का समय दे सकें । आपके आदर्श में आधा घंटा राम अवधेश जी बोल गए है ।

श्री गुलाम रसूल भट्ट (जम्मू और काश्मीर) : अभी मुझे भी बोलना है ।

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1989—*Contd.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up further consideration of Appropriation (No. 4) Bill, 1989.

आप सबकी तरफ से वे बोल गए हैं भट्टाचार्य जी की तरफ से भी बोल गए हैं ।

श्री चित्त बसु (पश्चिमी बंगाल): **हम लोगों की छुट्टी कर दीजिए... (व्यवधान)**

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): From UAM...

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no separate group. I must tell you that all the Members who do not come under 'Parties' are all grouped together.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: There is no such understanding that UAM is clubbed with others. I will write to you in this connection.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I must make it clear so that you don't think that Chair is trying to curtail the time. Yesterday, in the Business Advisory Committee it was decided that all those who are not identified as 'Parties' but they are individuals, are to be clubbed together and they have to share the time allotted for 'Others'. So, one day you speak and other day Mr. Chitta Basu speaks. **श्री अश्विनी कुमार जी आप पहले बोलिए ।**

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : माननीया उपसभापति महोदया, वित्त विनियोग के ऊपर जो चर्चा चल रही है